

विधि (LAW)

- किसी एक विषय से संबंधित नियमों का संकलन कानून कहलाता है।
- कानून उस ऑथोरिटी द्वारा बनाया जाता है जिसे संविधान द्वारा शक्ति दी जाती है।

कानून की संरचना –

कानून



अध्याय



धारा



उपधारा



वाक्य



उपवाक्य

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा :- इस कानून का जन्म विशाखा गाइडलाइन्स के कारण हुआ।

❖ विशाखा गाइडलाइन्स

- भँवरी देवी नामक महिला के साथ कार्य निर्वहन के दौरान यौन उत्पीड़न की घटना हुई। इस सम्बन्ध में विशाखा व अन्य के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई।
- सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत के वर्तमान कानून कार्यस्थल पर महिलाओं को संरक्षण देने में असफल है।
- अतः एक सुदृढ़ कानून की आवश्यकता है। लेकिन कानून की अनुपस्थिति में इस प्रकार के मामलों में सुनवाई के लिए और महिलाओं को संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये।

- 2013 में इन्ही दिशा-निर्देशों को आधार बनाते हुए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिनियम बनाया गया।

अध्याय संख्या	विषय	धारा
1.	प्रारम्भिक	धाराएँ 1-3
2.	आन्तरिक शिकायत समिति	धारा 4
3.	स्थानीय शिकायत समिति	धारा 5-8
4.	शिकायत	धारा 9-11
5.	शिकायत की जाँच	धारा 12-18
6.	नियोक्ता के कर्तव्य	धारा 19
7.	जिला अधिकारी के कर्तव्य	धारा 20
8.	विविध	धारा 21-30

धारा संख्या	धारा का विषय	धारा संख्या	धारा का विषय
1.	क्षेत्र एवं प्रारम्भ	10.	समझौता
2.	परिभाषा	11.	जाँच
3.	यौन उत्पीडन की रोकथाम	12.	जाँच लम्बित होने के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
4.	आन्तरिक शिकायत समिति	15.	क्षतिपूर्ति
5.	जिला अधिकारी की अधिसूचना	18.	अपील
6 और 7	स्थानीय शिकायत समिति	19	नियोक्ता के कर्तव्य
8.	ग्रांट एवं अंकेक्षण	20.	जिला अधिकारी के कर्तव्य
9.	शिकायत	26.	जुर्माना

❖ उत्पीड़ित महिला (धारा संख्या-2)

- ऐसी महिला जिसके साथ कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना हुई हो, उत्पीड़ित महिला कहलाती है।
- यदि घरों में सफाई का कार्य करने वाली महिलाओं के साथ वहाँ कोई उत्पीड़न होता है तो भी इस कानून में संरक्षण प्राप्त है।

❖ कर्मचारी (धारा संख्या-2)

- कर्मचारी में निम्नलिखित शामिल है -
 - ✓ स्थायी कर्मचारी, संविदाकर्मि
 - ✓ पार्ट टाइम कर्मचारी
 - ✓ प्रोबेशनर
 - ✓ प्रशिक्षु
 - ✓ दैनिक मजदूरी वाले

❖ नियोक्ता

- सरकारी विभाग आदि के सम्बन्ध में - कार्यालय अध्यक्ष
- निजी कार्यालयों के सम्बन्ध में :- उस कार्यालय का इनचार्ज
- घरेलू कार्यों के सम्बन्ध :- नौकरी पर रखने वाला व्यक्ति

❖ यौन उत्पीड़न

➤ यौन उत्पीड़न में निम्न शामिल है

- ✓ शारीरिक स्पर्श
- ✓ यौन अनुग्रह की माँग
- ✓ अश्लील टिप्पणी अथवा अश्लील सामग्री प्रदर्शित करना
- ✓ यौन प्रकृति का मौखिक या अन्य सांकेतिक व्यवहार

➤ धारा संख्या 3 – यौन उत्पीड़न की रोकथाम

➤ कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ यौन उत्पीड़न नहीं होना चाहिए।

➤ अन्य बातों के साथ निम्न भी यौन उत्पीड़न में सम्मिलित है –

- ✓ वर्तमान रोजगार के सम्बन्ध में लाभ पहुँचाने का वादा करना या हानि पहुँचाने की धमकी देना।
- ✓ भावी रोजगार के सम्बन्ध में सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार का वादा या धमकी।
- ✓ कार्यस्थल पर शत्रुतापूर्ण घातोवरण उत्पन्न करना।
- ✓ ऐसा व्यवहार जिससे महिला का अपमान होता हो या उसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता हो।
- ✓ महिला के काम में रूकावटें पैदा करना।

❖ आन्तरिक शिकायत समिति

➤ यदि किसी कार्यस्थल पर 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है तो ICC का गठन अनिवार्य है।

➤ समिति का गठन नियोक्ता द्वारा किया जाता है।

➤ नियोक्ता द्वारा वरिष्ठ महिला अधिकारी को पीठासीन अधिकारी घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 सदस्य नियुक्त किये जाते हैं। सदस्यों में से एक सदस्य किसी NGO से होता है। शेष दो, कर्मचारी हो सकते हैं।

➤ समिति में महिलाओं का बहुमत होना आवश्यक है।

❖ स्थानीय शिकायत समिति (LCC) -

- जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाता है। समिति में 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। उस क्षेत्र में महिला अधिकारों के लिए कार्य करने वाली प्रतिष्ठित महिला को समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है।
- 1 सदस्य NGO से होना चाहिए। एक सदस्य स्थानीय महिला कर्मचारियों में से नियुक्त किया जाता है। समिति में महिलाओं का बहुमत होना आवश्यक है।
- समिति में SC / ST / अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।

❖ कार्यस्थल धारा संख्या – 2

- कार्यस्थल में ऑफिस, गोदाम, फेक्ट्री, और अन्य सभी सम्बन्धित स्थल सम्मिलित है।
- यदि कार्य के सम्बन्ध में महिला को अन्य स्थान पर भेजा जाता है तो उस स्थान को भी कार्यस्थल माना जाता है।
- जैसे :-
 - ✓ डॉक्टर व नर्स के लिए अस्पताल।
 - ✓ महिला खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम, जिम आदि।
 - ✓ घरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए वह घर।
- कर्मचारियों द्वारा शिकायत ICC में की जाती है। लेकिन निम्न परिस्थितियों में शिकायत LCC को की जा सकती है -
 - ✓ नियोक्ता द्वारा ICC का गठन न किया हो।
 - ✓ शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध हो।
 - ✓ घरों में काम करने वाली महिलाएँ।

❖ शिकायत

- पीड़ित महिला द्वारा लिखित शिकायत किया जाना आवश्यक है। अन्तिम घटना से 90 दिन के अन्दर शिकायत किया जाना आवश्यक है।
- शिकायत में आरोपी का नाम, घटना का दिन व समय और ब्यौरा होना आवश्यक है।

- निम्न मामलों में शिकायत LCC में की जा सकती है।
 1. नियोजक द्वारा ICC का गठन नहीं किया जा सकता है।
 2. शिकायत नियोजक के विरुद्ध हो।
 3. घरों में भेड का कार्य करने वाली महिलाएँ।

❖ समझौता

- जाँच प्रारम्भ होने से पूर्व महिला के आग्रह पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन इसका आधार आर्थिक नहीं हो सकता।
- समझौता होने पर एक रिपोर्ट नियोक्ता/जिला अधिकारी को भेज दी जाती है।

❖ शिकायत की जाँच/सुनवाई

- समझौता ना होने पर जाँच प्रारम्भ होती है। दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाता है। सुनवाई के दौरान समिति को सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ होती हैं।
- समिति को जाँच 90 दिन में पूरी करनी होती है।
- जाँच की एक रिपोर्ट जिला अधिकारी/नियोक्ता को भेजी जाती है।

❖ सुनवाई के दौरान एक्शन

- समिति निम्न की अनुशंसा कर सकती है –
 - ✓ पीड़ित महिला को 90 दिन का अवकाश।
 - ✓ पीड़ित महिला का अन्य स्थान पर ट्रांसफर।
 - ✓ आरोपी का अन्य स्थान पर ट्रांसफर।
- महिला को मानसिक या भावनात्मक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति दिलायी जा सकती है। इसकी वसूली अपराधी से की जाती है।

❖ नियोक्ता के कर्तव्य (धारा संख्या-19)

- महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करवाना।
- ICC का गठन करना।

- महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- यदि उत्पीडित महिला कानूनी कार्यवाही करना चाहे तो उसे यथासम्भव सहायता देना।
- कार्यस्थल पर उपयुक्त स्थानों पर जागरूकतापूर्ण संदेश लगाना।

जिला अधिकारी के कर्तव्य (धारा संख्या – 20) –

1. मित्रतापूर्ण और सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध करवाना।
2. LCC का गठन।
3. महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करना।
4. कार्य स्थल पर जागरूकता के संदेश प्रदर्शित करना।
5. महिला को उचित सहायता प्रदान करना।

❖ जुर्माना

- यदि नियोक्ता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है तो 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- दुबारा गलती करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना तथा लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जा सकती है।

❖ महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम – 2005

- यह अधिनियम 2005 में पारित हुआ लेकिन इसे 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया।
- इस कानून में 5 अध्याय व 37 धाराएँ हैं

अध्याय	विषय	धारा
1.	प्रारम्भिक	1-2
2.	घरेलू हिंसा	3
3	संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता आदि के कर्तव्य व शक्तियाँ	4-11
4.	राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया	12-29
5.	विविध	30-37

धारा संख्या	धारा का विषय	धारा संख्या	धारा का विषय
1	लघु शीर्षक, क्षेत्र एवं प्रारंभ		
2.	परिभाषा		
3	घरेलू हिंसा	18	संरक्षण आदेश
5	पुलिस अधिकारी सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट आदि के कर्तव्य	19	निवास का आदेश
6	आश्रय स्थल के कर्तव्य	20	मौद्रिक राहत
7	चिकित्सा सुविधा के कर्तव्य	21	अभिरक्षण आदेश (कस्टडी ऑर्डर)
8 – 9	संरक्षण अधिकारी	22	क्षतिपूर्ति का आदेश
10	सेवा प्रदाता	29	अपील
12	मजिस्ट्रेट को आवेदन	31,33	संरक्षण आदेश न मानने पर जुर्माना
17	निवास का अधिकार		

❖ उत्पीडित महिला (व्यथित महिला)

- ऐसी महिला जो आरोपी के साथ घरेलू सम्बन्ध हो तथा वह आरोपी के द्वारा हिंसा का शिकार हुई हो।
- इस कानून में पीड़ित केवल महिला ही हो सकती है, लेकिन आरोपी महिला, पुरुष, अवयस्क हो सकते हैं।

❖ घरेलू संबंध –

- यदि दो या अधिक व्यक्ति एक सांझी गृहस्थी में एक साथ एक घर में रहते हैं या रहे हैं, उनमें घरेलू संबंध कहलाता है। संयुक्त परिवार या अन्य कोई सम्बन्ध हो सकता है।
- शादी का संबंध या रक्त संबंध आवश्यक नहीं है। **जैसे :-** दत्तक पुत्री, बिना शादी के साथ रहना, भाई बहन

❖ घरेलू हिंसा (धारा संख्या-3)

➤ घरेलू हिंसा में निम्न शामिल है –

- महिला को शारीरिक क्षति पहुँचाना, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न, महिला के स्वास्थ्य या शरीर को क्षति पहुँचाना, जीवन को खतरे में डालना।
- गैरकानूनी या अनुचित माँग के लिए डराना, धमकाना, उत्पीड़ित करना।
- ✓ **शारीरिक उत्पीड़न :-** मारना, पीटना, अंगों को क्षति पहुँचाना।
- ✓ **यौन उत्पीड़न :-** इच्छा के विरुद्ध शारीरिक सम्बन्ध बनाना। ऐसा यौन कृत्य जिससे महिला का तिरस्कार होता हो, अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध।
- ✓ **आर्थिक उत्पीड़न :-** परिवार की स्थिति व रीति-रिवाज के अनुसार जिन सुविधाओं/संसाधनों का उपभोग अन्य सदस्य कर रहे हो से महिला को वंचित करना। अथवा स्त्री धन छीन लेना या महिला को आय का उपयोग न करने देना।
- ✓ **मानसिक उत्पीड़न :-** दहेज न लाने, पुत्र संतान न होने, बच्चे न होने या किसी अन्य विषय में मौखिक उत्पीड़न करना।
- ✓ महिला की सम्पत्ति का निस्तारण करना भी आर्थिक उत्पीड़न है।

❖ संरक्षण अधिकारी

- सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक या अधिक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं।
- संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट को उसके कार्य में सहायता करता है। उत्पीड़ित महिला द्वारा संरक्षण अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
- वह महिला की शिकायत दर्ज करने में सहायता करता है।
- वह महिला को चिकित्सा, आश्रय व कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है।
- वह महिला को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है।
- संरक्षण अधिकारी डोमेस्टिक इंसिडेन्स रिपोर्ट तैयार करते हैं।

❖ सेवा प्रदाता (धारा – 10) –

सोसायटी अधिनियम या कम्पनी अधिनियम में पंजीकृत NGO सेवा प्रदाता बन सकता है। वह संरक्षणा अधिकारी के समान कार्य करता है।

❖ सुनवाई की प्रक्रिया –

- महिला द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के माध्यम से शिकायत की जा सकती है हिंसा की जानकारी रखने वाला अन्य व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है।
- मजिस्ट्रेट द्वारा 3 दिन में पहली सुनवाई आयोजित की जाएगी।
- सामान्यतः केस का निपटारा 60 दिन में किया जाता है। सुनवाई के दौरान किसी भी समय महिला को आरोपी को दोनों की एक्सपर्ट की सलाह लेने का आदेश दिया जा सकता है।
- सुनवाई की रिकॉर्डिंग की जा सकती है।

❖ मजिस्ट्रेट निम्न आदेश पारित कर सकता है

1. संरक्षण आदेश –

- यह एक निषेधात्मक आदेश है।
 - भविष्य में हिंसा की सभी गतिविधियों पर रोक।
 - आरोपी द्वारा महिला से सम्पर्क करने पर रोक।
 - आरोपी द्वारा महिला के कार्यस्थल/शिक्षण स्थल पर जाने से रोक।

- आरोपी द्वारा सम्पति, बैंक खाते, लॉकर आदि के निस्तारण पर रोक।
- महिला या सम्बन्धियों को धमकाने पर रोक।

2. निवास का आदेश –

- सांझी गृहस्थी में रहना महिला का अधिकार है। इस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता।
- ✓ आरोपी या उसके परिवार को घर के उस भाग में जाने से रोका जा सकता है जहाँ महिला रहती हो।
- ✓ आरोपी और उसके परिवार को घर खाली करने को कहा जा सकता है।
- ✓ महिला द्वारा समान सुविधाओं वाला घर किराये पर लिया जा सकता है। जिसका किराया आरोपी से वसूला जा सकता है।

3. **मौद्रिक राहत** – महिला व बच्चों के लिए किराया, चिकित्सा, शिक्षा व भरण पोषण के लिए आरोपी से धनराशि वसूली जा सकती है।

4. **अभिरक्षण आदेश** – महिला की याचिका पर बच्चों की कस्टडी महिला को दी जा सकती है। यदि आरोपी के बच्चों के मिलने से उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

5. **क्षतिपूर्ति आदेश** – महिला को आर्थिक हानि, आय की हानि और मानसिक व भावनात्मक उत्पीड़न के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दिलायी जा सकती है।

❖ सजा

- यदि आरोपी संरक्षण आदेश का पालन नहीं करता है तो 20,000 रुपये तक जुर्माना और 1 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है।
- यदि संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में असफल रहता है तो उसे भी यह सजा दी जा सकती है।

➤ बालश्रम –

- भारत में बालश्रम अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इस कानून में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुछ विशिष्ट/जोखिम भरे कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए रखने की अनुमति दी। बच्चे के कार्यदशाओं का नियमन सरकार द्वारा किया जाता था।

- 2009 में भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया जिसके अन्तर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया।
- उपर्युक्त दोनों कानूनों के प्रावधान विरोधभासी हो गये। इसलिए 2016 में बालश्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम में संशोधन किया गया।
- संशोधन के द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को दो श्रेणियाँ में बाँटा गया —
 - ✓ बालक :- 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बालक की संज्ञा दी गई।
 - ✓ किशोर :- 14 वर्ष से बड़े लेकिन 18 वर्ष से छोटे व्यक्तियों को किशोर की श्रेणी में रखा गया।
- बालकों के कार्य करने पर पूर्ण रोक लगा दी गई।
- लेकिन निम्न परिस्थितियों में बालक कार्य कर सकते हैं—
 - ✓ स्कूल के बाद बच्चा अपने परिवार की पारिवारिक व्यवसाय में सहायता कर सकता है।
 - ✓ बच्चा कलात्मक प्रकृति के कार्य कर सकता है। जैसे :- एक्टिंग, स्पोर्ट्स, डांसिंग, में भाग लेना।
 - ✓ लेकिन सर्कस में कार्य करना प्रतिबंधित है।
- उपर्युक्त कार्यों के कारण उसकी शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
- किशोर को खतरनाक कार्य पर रखना प्रतिबंधित है।
- सरकार इनकी कार्यदशाओं का नियमन करेगी।

➤ जुर्माना

- यदि बच्चे को काम करवाने के दोषी माता-पिता हो तो प्रथम बार बिना जुर्माने के छोड़ दिया जाता है। दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- वह व्यक्ति जो बच्चे को काम पर रखता है या किशोर से खतरनाक कार्य करवाता है तो 20,000-50,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है।

- बालश्रम की शिकायतें दर्ज कराने के लिए सरकार द्वारा Pencil Platform बनाया गया है।
- **PENCIL :- PLATFORM FOR EFFECTIVE ENFORCEMENT OF NO CHILD LABOUR**
- सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए बालश्रम पुनर्वास निधि की स्थापना की गई। मुक्त कराए गए प्रत्येक बच्चे या किशोर के लिए सरकार द्वारा 1500 रुपये की धनराशि जमा करवायी जाती है। इसके साथ जुर्माने की राशि भी जमा करवायी जाती है।

❖ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम – 2012

➤ POCSO Act

- यह कानून 2012 में पारित किया गया। इसे 14 नवम्बर 2012 को लागू किया गया।
- यह कानून 9 अध्याय और 46 धाराओं में बटा हुआ है। यह कानून लैंगिक अपराधों के सम्बन्ध में शिकायत व सुनवाई की प्रक्रिया प्रदान करता है। यह कानून सख्त सजाओं का प्रावधान करता है।
- इस कानून में अपराधों को निम्न श्रेणी में बाँटा गया है—
 - ✓ प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा – 3) :- यदि कोई व्यक्ति बच्चे के निजी अंगों या मुख में स्वयं के शरीर के अंग या कोई अन्य वस्तु प्रविष्ट करता है तो उसे इस श्रेणी में रखा जाता है या बच्चे में स्वयं के साथ ऐसा करवाता है।
 - ✓ गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा – 5) :- यदि अपराध निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा या निर्दिष्ट परिस्थितियों में किया जाए तो वह गुरुत्तर अपराध कहलाता है। जैसे :-
 - पुलिस
 - रक्षा बल
 - शिक्षण स्थल का स्टाफ या संचालक
 - बाल सुधार गृह के संचालक / स्टाफ
 - प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया अपराध।
 - साम्प्रदायिक दंगों के दौरान किया गया अपराध।
 - सामूहिक अपराध।
 - शस्त्रों का प्रयोग।
 - अपराध के कारण बच्चे की मृत्यु।
 - बच्चे का अंगों को स्थायी क्षति।
 - बच्चे का मानसिक विकृष्ट होना।
 - यदि अपराध के कारण बच्चा गर्भधारण कर ले।

- बच्चे का रिश्तेदार
- एक ही बच्चे से बारा-बार अपराध।
- ✓ **लैंगिक हमला (धारा-7) :-** लैंगिक/यौन अपराध के उद्देश्य से बच्चे के वक्षस्थल/निजी अंगों से छेड़छाड़ या बच्चे से स्वयं के साथ ऐसा करवाना।
- ✓ **गुरुत्तर लैंगिक हमला :** यदि धारा 7 में वर्णित अपराध धारा 5 की परिस्थितियों में किया जाए तो वह गुरुत्तर लैंगिक हमला कहलाएगा।
- ✓ **लैंगिक उत्पीडन (धारा-13) :-** बच्चे को अश्लील सामग्री दिखाना/अश्लील भाषा का प्रयोग करना, भद्दे कमेंट करना, अश्लील इशारे करना।
- ✓ **पोर्नोग्राफी :-**
 - बच्चे को सम्मिलित करती हुई अश्लील सामग्री बनाना।
 - बच्चे के निजी अंगों को प्रदर्शित करना।
 - ऐसी सामग्री का भण्डारण। (धारा-15)
 - ऐसी सामग्री का वितरण। (धारा-15)

❖ सुनवाई की प्रक्रिया

- बच्चे के साथ अपराध की सूचना सामान्य पुलिस या विशेष पुलिस इकाई को दी जा सकती है।
- शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा 48 घंटों में इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी जाएगी।
- बच्चे को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। बच्चे से पूछताछ उसके घर या उसके पसंदीदा स्थान पर की जाएगी। बच्चे से पूछताछ महिला ASI या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- पूछताछ के दौरान अधिकारी सामान्य नागरिक वेशभूषा में रहेंगे पूछताछ के दौरान माता-पिता को उपस्थित रहने की अनुमति होगी। यदि बच्चे की चिकित्सा जाँच अनिवार्य हो तो वह संरक्षक की उपस्थिति में की जाएगी। और केवल महिला चिकित्सक ही जाँच करेगी।
- जाँच की एक प्रति संरक्षक को दी जाएगी।

- सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। न्यायालय में सुनवाई के लिए बच्चे को बार-बार नहीं बुलाया जाएगा। सुनवाई के दौरान बच्चे से आपत्तिजनक या आक्रामक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सुनवाई की रिकॉर्डिंग की जा सकती है।
- कोर्ट का वातावरण बच्चे के अनुकूल होना चाहिए।
- सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। यदि मीडियाकर्मी पहचान उजागर करता है तो उसे और सम्पादक को 6 माह का कारावास दिया जा सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति को बच्चे के साथ हुए अपराध की जानकारी हो ओर वह इसकी सूचना जा दे तो 6 महीने की जेल की सजा दी जा सकती है।
- यदि यह अपराध स्कूल/आश्रयस्थल आदि के संचालक द्वारा किया जाता है तो 1 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है।

भाग संख्या	विषय	विवरण
3	प्रवेशन लैंगिक हमला	—
4	उपर्युक्त की सजा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास अधिकतम आजीवन कारावास + जुर्माना ➤ यदि बच्चे की उम्र 16 वर्ष से कम हो तो न्यूनतम 20 वर्ष ➤ आजीवन कारावास – मृत्यु तक
5	गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला	—
6	उपर्युक्त की सजा	न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास व अधिकतम आजीवन कारावास मृत्युदण्ड भी दिया जा सकता है।
7	लैंगिक हमला	—
8	उपर्युक्त की सजा	3 से 5 साल की जेल
9	गुरुत्तर लैंगिक हमला	—
10	उपर्युक्त की सजा	न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष
11	यौन उत्पीडन	—
12	उपर्युक्त की सजा	3 वर्ष तक का कारावास + जुर्माना

13	बच्चे का पोर्नोग्राफीक उद्देश्यों के लिए प्रयोग	—
14	उपर्युक्त की सजा	न्यूनतम 5 वर्ष, दोबारा अपराध सिद्ध होने पर न्यूनतम 7 वर्ष
15	अश्लील सामग्री का भण्डारण a. सामग्री मिटाने में असफल रहना। 5000 रु. जुर्माना b. प्रसार के लिए सामग्री। c. व्यावसायिक उद्देश्य के लिए सामग्री रखना।	5000 रु. न्यूनतम जुर्माना 3 वर्ष तक का कारावास 3-5 वर्ष की जेल

- उपर्युक्त सभी अपराधों में कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- सामूहिक अपराध में शामिल सभी अपराधियों को एक समान सजा दी जाएगी।
- अपराध में सहयता करने या अपराध के लिए भड़काने पर भी समान सजा का प्रावधान है।
- अपराध के लिए स्थान उपलब्ध करवाने वाले को भी समान सजा दी जायेगी।
- इन अपराधों के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराने के लिए पोक्सो बॉक्स की स्थापना की गई।

❖ सूचना का अधिकार

- यह कानून नागरिक सशक्तीकरण का कानून है। इस कानून के अन्तर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
- इस कानून से पूर्व सूचना के अधिकार को प्रयोग करने की कोई विधि/प्रक्रिया नहीं थी।
- इस कानून के द्वारा यह प्रक्रिया प्रदान की गई यह कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। 12 अक्टूबर को सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है।

❖ **सूचना से अभिप्राय** — लोक प्राधिकरण से संबंधित सभी दस्तावेज व अन्य जानकारियाँ कहलाती है।

➤ सूचना में निम्न सम्मिलित है —

- कोई भी अभिलेख या दस्तावेज।

- प्रेस विज्ञप्ति
- ई-मेल, कार्यालय आदेश, परिपत्र, लॉगबुक आदि।

➤ सूचना, डिजिटल रूप में भी हो सकती है।

❖ सूचना का अधिकार

➤ सूचना के अधिकार में निम्न सम्मिलित है –

- किसी फाइल या दस्तावेज की जाँच करना।
- जाँच के दौरान टिप्पणियाँ लेना।
- प्रमाणित प्रति लेना।
- सरकारी कार्य में प्रयोग की जा रही सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।
- इलेक्ट्रॉनिक सूचना की डिजिटल कॉपी या हार्ड कॉपी प्राप्त करना।

❖ लोक प्राधिकरण

- ऐसी संस्थाएँ जो संसद के किसी विशेष कानून के तहत स्थापित हो।
- विधानमण्डल के विशेष कानून के अन्तर्गत स्थापित संस्थाएँ।
- सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाएँ।
- संविधान के अन्तर्गत स्थापित संस्थाएँ।
- सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिकतः स्वामित्व वाली संस्थाएँ

RTI के अन्तर्गत लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित सूचनाएँ माँगी जा सकती है।

❖ आवेदन की प्रक्रिया

- RTI के अन्तर्गत आवेदन लिखित होना आवश्यक है। यदि आवेदक लिखित आवेदन नहीं दे सकता तो उसे सूचना अधिकारी को मौखिक आवेदन करना होता है। और सूचना अधिकारी उसके आवेदन के लिखने की व्यवस्था करता है।
- आवेदन के लिए 10 रु. की फीस देनी होती है। BPL परिवारों को यह फीस देने की आवश्यकता नहीं है।

- सूचना माँगने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। आवेदक की निजी जानकारियाँ नहीं माँगी जा सकती है।
- आवेदन लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करवाना होता है।

❖ लोक प्राधिकरण के कर्तव्य

- स्वयं के स्तर पर अधिकतम सूचनाएँ जनता को दे देना जिससे सूचना के अधिकार के प्रयोग की आवश्यकता न्यूनतम हो।
- समस्त सूचनाएँ इस प्रकार व्यवस्थित रखना कि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएँ तुरन्त दी जा सकें।
- किसी एक अधिकारी को सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त करना।
- उससे वरिष्ठ अधिकारी को अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त करना।

❖ RTI आवेदन का निपटारा

- सूचना देना।
- आवेदन रद्द करना।
- आवेदन हस्तांतरित करना।
 - यदि आवेदन रद्द किया जाता है तो आवेदक को इस सम्बद्ध में लिखित सूचना देनी होती है। अपील संबंधित जानकारी भी दी जाती है।
 - आवेदन रद्द होने का कारण बताना आवश्यक है। और यदि आवेदक इससे खुश नहीं है तो वह इसके विरुद्ध अपील कर सकता है। अतः अपील अधिकारी का नाम और अपील का समय भी बताना आवश्यक है।
 - यदि आवेदन में माँगी गई सूचना प्राप्तकर्ता अधिकारी से सम्बन्धित न हो तो उसे 5 दिन के अन्दर आवेदन सम्बन्धित विभाग को ट्रांसफर करना होता है। और इस सम्बन्ध में आवेदक को लिखित सूचना देना आवश्यक है।

❖ सूचना देने का समय

- सामान्यतः सूचना 30 दिन में दी जाती है। लेकिन यदि सूचना किसी के जीवन से सम्बन्धित हो तो 48 घण्टे में सूचना दी जाती है।

- यदि आवेदन तीसरे पक्ष से सम्बन्धित हो तो 10 दिन का समय दिया जाता है।
- यदि आवेदन हस्तांतरित होकर आया हो तो 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है।

❖ तीसरा पक्षकार

- यदि नागरिकों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति/संस्था द्वारा सूचना माँगी जाए तो उसे तृतीय पक्षकार कहते हैं।
- यदि लोक प्राधिकरण से किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की सूचना माँगी जाए तो वह व्यक्ति/संस्था भी तृतीय पक्षकार कहलाते हैं लेकिन लोक प्राधिकरण को वह सूचना किसी कानून के अन्तर्गत प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए।

➤ निम्न सूचनाएँ नहीं माँगी जा सकती है –

1. भारत की एकता, अखण्डता व सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सूचनाएँ।
2. कानून के अन्तर्गत प्रतिबंधित सूचनाएँ/या न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई सूचनाएँ।
3. विदेशी सरकारों से विश्वास के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएँ।
4. संसद या विधानमण्डल के विशेषाधिकार का हनन करने वाली सूचनाएँ।
5. कैबिनेट के दस्तावेज।
6. कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली सूचनाएँ।
7. कार्यालय गोपनीयता अधिनियम में शामिल सूचनाएँ।
8. व्यावसायिक संस्थाओं की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली सूचनाएँ।

Note: सुरक्षा व जाँच एजेंसियों को RTI से बाहर रखा गया है।

❖ अपील

➤ निम्न कारणों से अपील की जा सकती है –

- सूचना न देना।
- विलम्बित सूचना।
- भ्रामक सूचना।
- आवेदन रद्द करना।

- सूचना के लिए अनावश्यक धनराशि की माँग।

- सूचना अधिकारी के विरुद्ध 30 दिन में अपील अधिकारी को शिकायत की जा सकती है।
- अपील अधिकारी के विरुद्ध 90 दिन में राज्य सूचना आयोग। केन्द्रीय सूचना आयोग को शिकायत की जा सकती है। इस कानून से सम्बन्धि मामले न्यायालय द्वारा नहीं सुने जाते अर्थात् आयोग का निर्णय अंतिम होता है।

❖ जुर्माना

- 250 रु. प्रतिदिन के दर से जुर्माना वसूला जाता है। अधिकतम जुर्माना 25000 रु. हो सकता है।

❖ बौद्धिक सम्पदा अधिकार

- मानव बुद्धि द्वारा सृजित ऐसी सम्पदाएँ जिनका भौतिक अस्तित्व न हो और उनका व्यावसायिक उपयोग सम्भव हो, बौद्धिक सम्पदाएँ कहलाती हैं। जैसे— ट्रेड डिजाइन, पेटेन्ट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड ड्रेस, भौगोलिक संकेतक, नये पौधों की किस्में, IC का डिजाइन आदि।
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि यह एक व्यक्ति को एकाधिकार प्रदान करते हैं उस व्यक्ति के अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्व को उन अधिकारों के प्रयोग में रोकते हैं।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन का कार्य मुख्यतः दो संस्थाओं द्वारा किया जाता है—

1. WTO (World Trade Organization) :- WTO के अन्तर्गत TRIPS नामक समझौते द्वारा इन अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन का कार्य किया जाता है। WTO बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए कार्य करता है।
2. WIPO (वर्ल्ड इंटेक्चुअल प्रोपर्टी ओरगेनाइजेशन) :- इसका गठन 1967 में एक सन्धि के द्वारा किया जाता है। जिसे 1970 में लागू किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ संस्थाओं में से एक है। (मुख्यालय : जेनेवा – स्विटजरलैंड)

❖ पेटेन्ट

- यह एक एकाधिकार है जो किसी नए आविष्कार के लिए आविष्कारक को दिया जाता है।
- इस अधिकार के अन्तर्गत अन्य कोई भी व्यक्ति आविष्कारक की अनुमति के बिना इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता।

➤ भारत में पेटेन्ट के संरक्षण के लिए पेटेन्ट संरक्षण अधिनियम 1970 बनाया गया। भारत में दो प्रकार के पेटेन्ट दिये जाते हैं। जैसे – 1. उत्पाद पेटेन्ट 2. प्रक्रिया पेटेन्ट

भारत में अधिकतम 20 वर्ष के लिए पेटेन्ट दिया जाता है।

➤ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेन्ट

- यदि पेटेन्ट धारक पेटेन्ट की अवधि समाप्त होने से पूर्व उसमें आंशिक परिवर्तन करके उसे नये आविष्कार के रूप में प्रस्तुत करता है और पुनः पेटेन्ट लेने का प्रयास करता है तो इसे एवरग्रीनिंग कहा जाता है।
- यदि पेटेन्ट अधिकारी के अनुसार कोई नया आविष्कार सम्मिलित नहीं है तो वह पेटेन्ट देने से मना कर सकता है।

➤ अनिवार्य लाइसेन्स

- यदि पेटेन्ट दिये हुए 3 वर्ष हो चुके हो और बाजार में माँग व आपूर्ति में गैप हो या जनता से अनुचित मूल्य वसूला जा रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा पेटेन्टधारी से पेटेन्ट लेकर अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है। लेकिन वास्तविक पेटेन्ट धारक को लाइसेन्स फीस दिलवायी जाती है।
- यह प्रावधान आपातकाल में भी लागू किये जा सकते हैं।

➤ कॉपीराइट

- कॉपीराइट भी एक एकाधिकार है जो कलाकारों को उनकी वास्तविक रचना के लिए दिया जाता है, जैसे साहित्य, कार्य, कलात्मक कार्य, संगीत, फिल्म आदि।
- कॉपीराइट रचनाकार को पूरे जीवन के लिए दिया जाता है और मृत्यु के बाद भी यह 60 वर्ष तक वैध रहता है।
- भारत में इस सम्बन्ध में कॉपीराइट अधिनियम 1957 लागू होता है।

➤ कॉपीलेफ्ट

- यदि कोई रचनाकार अपनी रचना से CR हटा लेता है, जिससे अधिकतम जनकल्याण हो सके तो इसे कॉपीलेफ्ट कहा जाता है।
- कॉपीलेफ्ट रचनाओं और उनसे बनी रचनाओं पर किसी भी अन्य व्यक्ति को कॉपीराइट नहीं दिया जाता है।

➤ पारम्परिक ज्ञान लाइब्रेरी

- सरकार द्वारा भारत के पारम्परिक ज्ञान का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। यदि कोई व्यक्ति डेटाबेस से सम्बन्धित विषय पर बौद्धिक सम्पदा अधिकार माँगता है तो उसे यह अधिकार नहीं दिया जाता है।

➤ भौगोलिक संकेतक

- यह एक विशेष पहचान है जो किसी उत्पाद को दी जाती है। इसके अन्तर्गत यदि उत्पाद की गुणवत्ता उस भौगोलिक क्षेत्र की परिस्थितियों के कारण हो जहाँ उसका उत्पादन किया गया हो तो उस क्षेत्र का नाम उस उत्पाद के साथ जोड़ा जा सकता है।
- भारत में इस सम्बन्ध में भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 बनाया गया। भारत में 10 वर्ष तक भौगोलिक संकेतक मान्य होता है।

➤ ट्रेडमार्क

- कोई ऐसा चिन्ह/प्रतीक/शब्द/चित्र स्लोगन आदि जो किसी उत्पाद को बाजार में अन्य उत्पादों के बीच अलग पहचान दिलाता है।
- भारत ने इस सम्बन्ध में ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 बनाया।

➤ ट्रेडड्रेस

- किसी उत्पाद की बाहरी पैकेजिंग या बनावट उसे विशेष पहचान देती है। इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। इसे ट्रेडड्रेस कहा जाता है।
- भारत ने ट्रेडड्रेस का संरक्षण भी ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के अन्तर्गत किया जाता है।

➤ IC का डिजाइन

- किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कार्यकुशलता उसकी IC के डिजाइन पर निर्भर करती है। इसलिए वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक युग में IC के डिजाइन के संरक्षित करने की आवश्यकता है।
- भारत ने इस सम्बन्ध में अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अधिनियम 2000 बनाया है।

➤ पौधों की किस्में

- यदि कोई शोधकर्ता पौधों की नयी किस्में खोजता है तो उसे इस पौधे के व्यावसायिक उपयोग का एकाधिकार दिया जाता है।
- यह अधिकार भारत में 15 वर्ष के लिए दिया जाता है। इस सम्बन्ध में किसान अधिकार और पौध विविधता संरक्षण अधिनियम 2001 बनाया गया है।

➤ ट्रेड डिजाइन

- किसी उत्पाद की विशेष आकृति ट्रेड डिजाइन कहलाती है। इसके संरक्षण के लिए भारत में डिजाइन अधिनियम 2000 बनाया गया है।

❖ साइबर क्राइम

- कम्प्यूटर या नेटवर्क की सहायता से किये गये अपराध साइबर अपराध कहलाते हैं।
- साइबर अपराध तुलनात्मक रूप से अधिक चिन्ता का विषय है क्योंकि –
 - यह अपराध अमेरिका से प्रारम्भ हुए लेकिन वर्तमान में यह वैश्विक मुद्दा है।
 - साइबर अपराधों की प्रकृति गैर स्थानीय होती है। अर्थात् दुनिया के किसी भी कोने से अपराध किया जा सकता है।
 - अपराधी को भौतिक रूप से घटना स्थल पर नहीं जाना होता है।
 - अपराधी की कोई पहचान नहीं होती।
 - एक साथ असंख्य लोगों को शिकार बनाया जा सकता है।
 - तकनीकी अक्षमता के कारण अपराधी पुलिस और जाँच एजेंसियों के क्षेत्र से बाहर हो सकता है।
 - अधिकांशतः अपराधी देश से बाहर होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना एक्शन नहीं लिया जा सकता।
 - साइबर अपराध, अन्य अपराधों को बढ़ाने का कार्य करते हैं।
 - अपराधी अन्य व्यक्तियों को अपराध का तरीका सीखा सकता है। असंख्य लोगों तक पहुँचना सरल है।

➤ मुख्य रूप से रिपोर्ट होने वाला साइबर क्राइम

- **हैकिंग** – किसी कम्प्यूटर की सुरक्षा को तोड़कर उसमें प्रवेश करना और संवेदनशील सूचनाओं को मिटा देना, हैकिंग कहलाता है। अच्छे उद्देश्य से की गई हैकिंग, एथिकल हैकिंग कहलाती है।
- **सलामी हमला** – इसके अन्तर्गत अपराधी छोटी-छोटी राशियों में एक साथ कई लोगों से एक साथ अपराध करते हैं। राशि कम होने के कारण यह अपराध संज्ञान में नहीं आते हैं और पता चलने पर भी इनकी शिकायत नहीं होती। **जैसे**— एक बैंक के सभी खातों से 1-1 रु. निकाल लेना।

- **फिशिंग**— इसमें अपराधी लोगों को ललचाने वाला संदेश या ई-मेल भेजते हैं। जिसके द्वारा आर्थिक लाभ का लालच या आर्थिक हानि का भय दिखाया जाता है। यदि सम्बन्धित व्यक्ति अपराधी से सम्पर्क करता है तो उससे धनराशि या संवेदनशील सूचनाएँ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।
- **वायरस** — यह एक साफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे किसी प्रोग्राम द्वारा लिखा जाता है। यह कम्प्यूटर में पहुंच कर महत्वपूर्ण जानकारी मिटा देता है। यह इंटरनेट या स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से कम्प्यूटर में पहुंचाया जाता है।
- **पोर्नोग्राफी** — किसी देश को सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के विपरीत सामग्री अश्लील कहलाती है। ऐसी सामग्री का प्रदर्शन पोर्नोग्राफी कहलाती है। दुनिया के कुछ देशों में इसे अपराध नहीं माना जाता है। भारत में ये एक दण्डनीय अपराध है।
- **विशिंग** — इस विधि में अपराधी लोगों के टेलिफोन पर विश्वास का दुरुपयोग करता है। टेलिफोन के माध्यम से संवेदनशील सूचनाएँ प्राप्त करके उनका दुरुपयोग किया जाता है। इसे **वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल** भी कहा जाता है।
- **साइबर स्क्वाटिंग** — इसमें किसी प्रसिद्ध संस्थान के नाम से डोमेन नेम खरीदे जाते हैं। और बाद में उस संस्थान को वह नाम उँची कीमत पर बेचा जाता है।
- **Bot Network** - इस विधि में अपराधी टारगेट कम्प्यूटर को ग्रिड कम्प्यूटिंग की सहायता से बोट नेटवर्क से जोड़ देता है। इस नेटवर्क में असंख्य साइबर अपराधी जुड़े होते हैं। जो गलत उद्देश्यों से इस कम्प्यूटर का दुरुपयोग कर सकते हैं।
- **स्पूफिंग** — अपराधी द्वारा किसी कम्प्यूटर की पहचान चुराई जाती है और इसका दुरुपयोग किया जाता है। इस प्रकार अपराध करने पर वास्तविक अपराधी पकड़ा जाना कठिन हो जाता है।
- **वेबसाइट डिफेसमेन्ट** — यदि अपराधी वेबसाइट के सर्वर पर पहुँचकर उसकी जानकारियाँ बदल लेता है तो इसे वेब डिफेसमेन्ट कहते हैं।
- **साइबर मानहानि** — इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को बदनाम करने का प्रयास साइबर मानहानि कहलाता है। जैसे— किसी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करना।
- साइबर धमकी

- **सेवा से मनाही/अवरोध** – यदि एक व्यक्ति को उसके द्वारा ली गई सेवाओं के उपभोग से रोका जाए तो इसे सेवाओं में अवरोध कहा जाता है। **जैसे** – ई-मेल को Spam से भर देना।
- **पाइरेसी** – बिना वास्तविक रचनाकार की अनुमति के उसकी रचना का व्यावसायिक प्रयोग पाइरेसी कहलाता है। जैसे :- फिल्मों की सी.डी. बनाकर बेचना।

❖ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम – 2000

- भारत में इन्टरनेट क्रान्ति बहुत देर से प्रारम्भ हुई। इसलिए भारत में साइबर अपराध भी बहुत पहले से नहीं थे।
- भारत में 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया। जिसके द्वारा पहली बार साइबर अपराधों को परिभाषित किया गया और सजाओं का प्रावधान किया गया।
- 2008 में इस कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।
- **IT Act के उद्देश्य :-**
 1. इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना।
 2. डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देना।
 3. इलेक्ट्रॉनिक लेन-देनों को मान्यता देना।
 4. इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सबूत के रूप में मान्यता देना।
 5. सूचना – प्रौद्योगिकी संबंधित मुद्दों के लिए नियम बनाना
 6. साइबर अपराधों को परिभाषित करना और सजा की व्यवस्था करना।

❖ कानून का क्षेत्र

- यह कानून सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है। यदि विदेशी द्वारा भारत में अपराध किया गया हो तब भी यह कानून लागू होता है।
- इस कानून में पहली बार साइबर अपराधों को पूर्णतः परिभाषित किया गया जैसे- इलेक्ट्रॉनिक सूचना की चोरी।
- डिजिटल हस्ताक्षर का दुरुपयोग।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (कम्प्यूटर आदि) को चुराना।

➤ चोरी किये गये उपकरणों को खरीदना।

❖ प्रमुख अपराध व सजाएँ

धारा संख्या	अपराध	सजा
65	स्रोत दस्तावेज में छेड़छाड़	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 लाख रुपये तक जुर्माना। ➤ 3 वर्ष का कारावास
66	हैकिंग	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 साल की जेल, 5 लाख तक जुर्माना
66 (a)	आपत्तिजनक और भ्रामक सूचनाएँ फैलाना	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 साल तक कारावास, 1 लाख तक जुर्माना
66 (b)	चोरी का कम्प्यूटर खरीदना	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 साल तक कारावास ➤ 1 लाख रु तक जुर्माना
66 (c)	अन्य व्यक्ति के पासवर्ड का प्रयोग	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 साल तक का कारावास ➤ 1 लाख रु जुर्माना
66 (d)	कम्प्यूटर का प्रयोग करके धोखाधड़ी	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 साल तक का कारावास ➤ 1 लाख रु जुर्माना
66 (e)	अन्य व्यक्ति की निजी तस्वीरें प्रकाशित करना	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 साल तक जेल ➤ 2 लाख रु जुर्माना
66 (f)	साइबर आतंकवाद	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आजीवन कारावास
67	अश्लील सामग्री प्रकाशित करना	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 साल तक जेल ➤ 10 लाख रु. का जुर्माना

➤ **साइबर आतंकवाद** :- इन्टरनेट कम्प्यूटर आदि की सहायता से किया गया ऐसा कृत्य जिससे देश की एकता, अखण्डता, सम्प्रभुता को खतरा उत्पन्न होता हो, साइबर आतंकवाद कहलाता है।

❖ माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

माता-पिता -

- ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो अपनी संतान से भरणपोषण की मांग करते हैं माता-पिता कहलाते हैं।
- संतान गोद ली हुई भी सकती है।

वरिष्ठ नागरिक -

- 60 वर्ष या अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जो रिश्तेदारों से भरण-पोषण की मांग करते हैं।

संतान –

- माता-पिता द्वारा जन्म दिये गये या गोद लिए गए व्यक्ति संतान कहलाते हैं।
- बच्चों के बच्चे भी इसमें सम्मिलित हैं लेकिन 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं है।

रिश्तेदार–

- 18 वर्ष से कम अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिन्हें वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त है रिश्तेदार कहलाते हैं।

भरण-पोषण –

- भोजन, कपड़े, आश्रय और चिकित्सा व्यय आदि भरण पोषण में सम्मिलित है।

❖ भरण-पोषण के लिए आवेदन

- माता-पिता या वरिष्ठ नागरिक स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से भरण-पोषण का आवेदन दे सकते हैं।
- ट्रिब्यूनल द्वारा स्वयं संज्ञान भी लिया जा सकता है।
- आवेदन प्राप्त होने पर ट्रिब्यूनल दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देता है। सामान्यतः 90 दिन में निर्णय दे दिया जाता है।
- यदि बच्चे रिश्तेदार सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं तो ट्रिब्यूनल द्वारा Ex-PARTE निर्णय भी दिया जाता है।
- यदि ट्रिब्यूनल द्वारा भरण पोषण का आदेश दिया गया है तो 30 दिन में यह राशि जमा करानी होती है। विलम्ब करने पर ब्याज देना होता है।
- यदि कोई व्यक्ति इस राशि का भुगतान न करें तो कानूनी जुर्माने के रूप में इसकी वसूली की जाती है। फिर भी भुगतान न करने पर 1 माह तक का कारावास दिया जा सकता है।
- यदि संतानों/रिश्तेदारों में से किसी की मृत्यु हो जाए तो भी भरण पोषण का आदेश मान्य रहता है। यदि कोई व्यक्ति मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह 60 दिन में अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता है जहाँ सामान्यतः 30 दिन में निस्तारण कर दिया जाता है

- नोट –

- 10,000 रु/माह से अधिक की राशि भरण पोषण के रूप में निर्धारित नहीं की जा सकती। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मेंटेनेंस अधिकारी की नियुक्ति करती है जो जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी से नीची रैंक का नहीं होना चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल स्थापित किये जायेंगे। और उनके ऊपर अपीलिय ट्रिब्यूनल की स्थापना की जायेगी।
- अपीलिय ट्रिब्यूनल में अधिकारी कम से कम जिला मजिस्ट्रेट के स्तर का होना चाहिए।

❖ राज्य सरकार के दायित्व

- राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में वृद्धावस्था गृह स्थापित करने होंगे। प्रत्येक स्थान पर कम से कम 150 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। इनका उद्देश्य ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय देना है जिनके पास स्वयं कोई आय का स्रोत नहीं है और संतान/रिश्तेदार नहीं है।
- सभी सरकारी अस्पतालों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को बेड आवंटन में प्राथमिकता देनी होगी। अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग पंक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- वरिष्ठ नागरिकों में गंभीर रोगों के लिए इलाज की सुविधाएं बढ़ायी जाएं।
- सरकारों द्वारा इस कानून का व्यापक प्रसार दिया जाएगा। इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी जिला अधिकारी की होगी।
- यदि वरिष्ठ नागरिक अपने किसी रिश्तेदार को सम्पत्ति, हस्तांतरित कर देता है जिसका उद्देश्य उस रिश्तेदार से भरण-पोषण प्राप्त करना है और सम्पत्ति हस्तांतरण के बाद वह रिश्तेदार भरण-पोषण बन्द कर देता है तो वरिष्ठ नागरिक मेंटेनेंस अधिकारी के पास शिकायत कर सकता है।
- यदि मेंटेनेंस अधिकारी संतुष्ट हो तो वह सम्पत्ति का हस्तांतरण रद्द कर सकता है।
- **किसी वरिष्ठ नागरिक/माता-पिता को छोड़ देना :-** यदि बच्चे या रिश्तेदार माता-पिता/वरिष्ठ नागरिक को छोड़ देते हैं तो तीन माह तक का कारावास, 5000 रु. तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

विधि की अवधारणा

❖ स्वामित्व Ownership

- स्वामित्व का तात्पर्य है किसी वस्तु पर विशिष्ट वैधानिक अधिकार होना।
- स्वामित्व का विचार धीरे-धीरे सभ्यता के विकास के साथ विकसित हुआ। जैसे-जैसे मानव घुमन्तु जीवन से स्थिर जीवन की ओर बढ़ा वैसे-वैसे स्वामित्व की अवधारणा का उदय हुआ।
- लोग तेरा-मेरा (Mine and thine) के बारे में विचार करने लगे तथा वस्तुओं पर अधिकार स्थापित करने लगे।
- इस अवधारणा की उत्पत्ति प्राचीन रोमन कानून में हुई और भारत में भी यह प्राचीन काल में ही स्थापित हो गयी थी।
- **स्वामित्व की पश्चिमी अवधारणा**
 - Roman Law (रोमन विधि) में इस अवधारणा का सर्वप्रथम विकास हुआ।
 - इस विधि में स्वामित्व को **Dominium** डोमिनियम एवं कब्जे को **Possessio** (पोजेसियो) कहा गया।
 - **Dominium** का अर्थ वस्तु पर सम्पूर्ण अधिकार होता है एवं **Possessio** का अर्थ वस्तु पर भौतिक रूप से नियंत्रण होता है।
 - रोमन विधि में स्वामित्व को अधिक महत्व दिया गया क्योंकि वस्तु पर सम्पूर्ण अधिकार होना उस पर नियंत्रण होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
 - **English Law (आंग्ल विधि)** – अंग्रेजी कानून में स्वामित्व की अवधारणा का विकास कब्जे की अवधारणा के बाद हुआ। शुरु में अंग्रेजी कानून में कब्जे की अवधारणा को अधिक महत्व दिया गया। क्योंकि उन्हें यह भ्रान्ति थी कि कब्जे की अवधारणा में ही स्वामित्व की अवधारणा निहित है।
 - **Holdsworth (होल्ड्सवर्थ)** के अनुसार आंग्ल विधि ने कब्जे की अवधारणा के विकास के द्वारा ही स्वामित्व की अवधारणा को एक सम्पूर्ण अधिकार जैसे स्वीकार किया।

➤ पश्चिमी विचारको के विचार

- ऑस्टिन के विचार (व्यक्ति-वस्तु सम्बन्ध) – "स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन (Disposition) की दृष्टि से अनिर्बन्धित (निर्बाधित) एवं अवधि की दृष्टि से असीमित है। "Ownership is a right indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration."

➤ आलोचना –

- स्वामित्व एक अधिकार नहीं अपितु अधिकारों का समूह है जिसमें से यदि कुछ अधिकार किसी और को दे दिये जाए तब भी स्वामित्व समाप्त नहीं होता। जैसे – मकान मालिक –किरायेदार।
- व्ययन का अधिकार अनिर्बन्धित नहीं है क्योंकि सरकार इस पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकती है। जैसे– सम्पत्ति के अवैध उपयोग पर रोक आदि।
- स्वामित्व की अवधि असीमित नहीं है क्योंकि सरकार या राज्य जनता के हितों के लिए वह स्वामित्व ले सकती है। जैसे– जनहित में अधिग्रहण।

❖ सॉमण्ड (Salmond)

- स्वामित्व व्यक्ति तथा उसमें निहित अधिकारों के बीच का संबन्ध है।
- स्वामित्व किसी व्यक्ति में निहित समस्त अधिकार हैं जिन्हें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोग करता है।
- उसने स्वामित्व की निराकार (अमूर्त) परिकल्पना की परिभाषा दी।
- सॉमण्ड की परिभाषा ऑस्टिन की परिभाषा से इस अर्थ में भिन्न है कि ऑस्टिन ने स्वामित्व को भौतिक वस्तुओं तक सीमित रखा है जबकि सॉमण्ड ने इसे अधिकार के रूप में भी देखा है।
- सॉमण्ड के अनुसार स्वामित्व में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं –

- कब्जे का अधिकार।
- उपभोग तथा उपयोग का अधिकार।
- व्ययन तथा वस्तु को नष्ट करने का अधिकार।

- असीमित काल तक स्वामित्व बनाये रखने का अधिकार।
- अवशिष्ट अधिकार।

➤ आलोचना

- स्वामित्व किसी वस्तु का होता है ना कि अधिकार का।
- स्वामित्व का निराकार स्वरूप समझना जटिल है।

❖ **हॉलैण्ड (Holland)** – “स्वामित्व किसी वस्तु पर सम्पूर्ण नियंत्रण है जिसमें कब्जे, उपभोग एवं व्ययन के अधिकार सम्मिलित है।”

❖ **हर्बर्ट (Herbert)** – स्वामित्व में चार प्रकार के अधिकार निहित है।

- किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार।
- अन्य व्यक्तियों को वस्तु से अपवर्जित करने का अधिकार।
- वस्तु के व्ययन का अधिकार।
- वस्तु को नष्ट करने का अधिकार।

❖ स्वामित्व की भारतीय अवधारणा

➤ प्राचीन काल में ही भारत में इस अवधारणा का विकास हो गया था। इस भारतीय अवधारणा के अनुसार स्वामित्व का अर्थ है किसी वस्तु पर वैधानिक हक होना एवं उसका कब्जा या भोग करने का अधिकार भी हो।

➤ **साक्ष्य:**— ब्रह्म पुराण में वैधानिक हक प्राप्त करने के 7 तरीके बताये गये हैं।

➤ **विक्रय के आधार पर स्वामित्व के दो प्रकार बताये गए हैं –**

1. सम्पूर्ण स्वामित्व, 2. सीमित स्वामित्व

➤ मनुस्मृति में विक्रय को स्वामित्व स्थानांतरित करने का उचित तरीका माना गया है।

➤ भारत में सम्पत्ति की अवधारणा प्राचीन काल में ही स्थापित हो गयी थी तथा सम्पत्ति को जंगम (Movable) एवं स्थावर (immovable) में विभाजित किया गया था।

- यह सभी तथ्य दर्शाते हैं कि स्वामित्व की अवधारणा उस समय भलीभाँति स्थापित हो चुकी थी।
- भारत में कब्जे को कभी भी स्वामित्व का एक मात्र साक्ष्य नहीं माना गया एवं स्वामित्व स्थापित करने के लिए वैधानिक हक को महत्वपूर्ण माना गया है। (पट्टा, ताम्रपत्र आदि)।

क्र.सं.	पश्चिमी अवधारणा	क्र.सं.	भारतीय अवधारणा
1.	साकार एवं निराकार स्वामित्व की अवधारणा। (Rights also owned) (IPR)	1.	सम्पूर्ण एवं सीमित स्वामित्व की अवधारणा।
2.	वैधानिक हक के बजाए सम्पूर्ण अधिकार पर अधिक महत्व दिया गया।	2.	वैधानिक हक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया।
3.	धोखाधड़ी से स्वामित्व स्थानान्तरित करने पर दण्ड का प्रावधान बहुत बाद में विकसित हुआ।	3.	मनुस्मृति में धोखाधड़ी से स्वामित्व स्थानान्तरित करने पर दण्ड के प्रावधान के बारे में बताया गया है।

❖ स्वामित्व की विशेषताएँ

- स्वामित्व पूर्ण अथवा निर्बन्धित हो सकता है।
- विशेष परिस्थितियों में स्वामित्व पर उचित प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।
- किसी वस्तु के स्वामी को अपने स्वामित्व का अस्तित्व बनाये रखने के लिए कर (Tax) शुल्क (Fees Duty) आदि देना पड़ता है।
- स्वामित्व वाली वस्तु का उपयोग अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुँचाने के लिए नहीं किया जा सकता।
- अनुचित व्ययन नहीं कर सकते (कपट, धोखाधड़ी, ऋण बकाया)।
- किसी सम्पत्ति के स्वामी की मृत्यु हो जाने पर भी स्वामित्व समाप्त नहीं होता और वह उसके विधिक उत्तराधिकारियों में निहित हो जाता है।
- सामान्यतः पागल, जड़ एवं अवयस्क व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व के अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

❖ स्वामित्व के प्रकार (Types for Ownership)

➤ मूर्त और अमूर्त स्वामित्व (Corporeal and Incorporeal) –

- मूर्त स्वामित्व का अर्थ है किसी भौतिक वस्तु पर स्वामित्व होना (जैसे— गाड़ी, बंगला आदि)।
- अमूर्त स्वामित्व का अर्थ है किसी अधिकार पर स्वामित्व होना। जैसे— बौद्धिक सम्पदा का अधिकार।

➤ एकल और सह—स्वामित्व (Sole and Co-ownership) –

- एकल स्वामित्व का अर्थ है स्वामित्व का अधिकार एक व्यक्ति में निहित होना।
- सह—स्वामित्व का अर्थ है स्वामित्व का अधिकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों में निहित होना।

➤ निहित एवं सम्भाव्य स्वामित्व (Vested and Contingent) –

- जब स्वामित्व सही एवं तत्काल होता है उसे निहित स्वामित्व कहते हैं।
- किसी शर्त के पूर्ण होने पर या किसी घटना के होने पर जब स्वामित्व सही हो जाता है तो उसे सम्भाव्य स्वामित्व कहते हैं। इसे सम्प्राप्ति स्वामित्व भी कहते हैं।

➤ सम्पूर्ण एवं सीमित स्वामित्व (Absolute and limited Ownership) –

- सम्पूर्ण स्वामित्व का अर्थ है बिना किसी शर्त के वस्तु के उपयोग, उपभोग, कब्जे एवं व्ययन का पूर्ण अधिकार।
- सीमित स्वामित्व का अर्थ है वस्तु पर सीमित उपयोग, उपभोग कब्जे एवं व्ययन का अधिकार जो सामान्यतः संविदा द्वारा सीमित किया जाता है।

➤ विधिक और साम्यिक स्वामित्व (Legal and equitable ownership) –

- वैधानिक स्वामित्व का अर्थ है विधि के नियमों के अनुसार स्थापित किया गया स्वामित्व। साम्यिक स्वामित्व का अर्थ है Equity (साम्य/शेयर) के नियमों के अनुसार स्थापित किया गया स्वामित्व।

➤ न्यास एवं लाभकारी स्वामित्व (Trust and Beneficial ownership) – न्यास स्वामित्व में स्वामित्व को लाभ के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता। यह स्वामित्व सीमित होता है क्योंकि

इसमें केवल स्वामित्व वाली वस्तु के प्रबंधन का अधिकार होता है ना कि उसके भोग का। लाभकारी स्वामित्व में स्वामी स्वामित्व वाली वस्तु का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है।

- **निष्कर्ष** – स्वामित्व किसी वस्तु के उपयोग, उपभोग, कब्जे एवं व्ययन का वैधानिक अधिकार होता है। स्वामित्व सम्बन्धी अवधारणा सम्पत्ति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अधिकार है।

❖ कब्जा (Possession)

- कब्जे का अर्थ है किसी वस्तु पर साभिप्राय भौतिक नियंत्रण स्थापित करना। किसी वस्तु का कब्जा वास्तविक स्वामी के सिवाय सम्पूर्ण विश्व के विरुद्ध एक समुचित हक होता है इसलिए कब्जा विधि का नौवां अंक माना जाता है। दीर्घकालीन कब्जा चिरभाग द्वारा स्वामित्व का निर्माण करता है।
- सॉमण्ड के अनुसार, “किसी वस्तु एवं व्यक्ति के बीच निरन्तर एवं वास्तविक सम्बन्ध को कब्जा कहते हैं।”
- फ्रेडरिक पोलक के अनुसार “कब्जे से अभिप्राय है किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण।”
- सैविनी के अनुसार कब्जे का अर्थ है कब्जाधारी अपने भौतिक बल के आधार पर अन्य व्यक्तियों को कब्जाधीन वस्तु के उपयोग एवं उपभोग से वर्जित रखे।
- कांट के अनुसार “कब्जे के रूप में अभिव्यक्त, व्यक्ति की इच्छा प्रत्येक अन्य व्यक्ति से पूर्ण सम्मान की हकदार है और इसे केवल सार्वभौम द्वारा ही राज्य के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है।
- मैन के अनुसार “कब्जे से आशय किसी वस्तु के साथ ऐसे सम्पर्क से है जो अन्य व्यक्तियों को उस वस्तु के उपभोग से अपवर्जित करता है।”

❖ कब्जे के आवश्यक तत्व

- कब्जा किसी वस्तु पर व्यक्ति के भौतिक नियंत्रण एवं ऐसे नियंत्रण को बनाए रखने की इच्छा का द्योतक है। जब इन दोनों तत्वों की उपस्थिति होती है तो कब्जा माना जाता है।

➤ इस प्रकार कब्जे के निम्नलिखित तत्व है –

- **भौतिक तत्व** – कब्जे का पहला आवश्यक तत्व “कब्जे का काय” "Corpus possession" है इसे कब्जे का भौतिक तत्व कहा जाता है। इसका अर्थ है वस्तु पर भौतिक नियंत्रण होना।

- **मानसिक तत्व** – कब्जे का दूसरा आवश्यक तत्व “धारणाशय” (Animus Possession) है इसका अर्थ है किसी वस्तु का कब्जा धारण करने की मानसिक इच्छा। अतः कब्जा स्थापित करने के लिए नियत एवं नियंत्रण दोनों होने चाहिए।
- **कब्जा दो प्रकार से स्थापित किया जा सकता है –**
 - ✓ **एक पक्षीय** – जब व्यक्ति किसी से सहमति लिए बिना अकेले ही कब्जा स्थापित कर लेता है तो उसे एक पक्षीय कब्जा कहते हैं।
 - ✓ **द्विपक्षीय** – इसमें कब्जा दो पक्षों की सहमति से स्थापित होता है।
- **कब्जा अर्जित करने के तीन तरीके होते हैं –**
 - ✓ **ग्रहण द्वारा** – इसमें वस्तु का कब्जा पूर्ववर्ती कब्जाधारी की सहमति के बिना प्राप्त किया जाता है।
 - ✓ **परिदान द्वारा** – जब किसी वस्तु का कब्जा पूर्व कब्जाधारी की सहमति एवं सहयोग से प्राप्त किया जाता है तो उसे परिदान द्वारा अर्जन कहा जाता है।
 - ✓ **विधि के प्रवर्तन द्वारा** – जब विधि के प्रवर्तन द्वारा किसी वस्तु या सम्पत्ति के कब्जे का अन्तरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है तो उसे विधि के प्रवर्तन द्वारा अर्जन कहा जाता है।

❖ कब्जे की विशेषताएँ

- कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।
- किसी वस्तु पर कब्जा करने के लिए उस पर भौतिक नियंत्रण आवश्यक है।
- कब्जे को धारण करने की इच्छा होना आवश्यक है।
- कब्जा बनाये रखने के लिए अन्य व्यक्तियों को उस कब्जे से अपवर्जित रखना होता है।
- कब्जे को विधि का नौवां अंक मानते हैं।

❖ कब्जे के प्रकार

- **मूर्त एवं अमूर्त कब्जा** – मूर्त कब्जे से अभिप्राय है किसी भौतिक वस्तु पर कब्जा जैसे – मकान, भूमि वाहन। अमूर्त कब्जा अमूर्त वस्तुओं पर होता है जैसे बौद्धिक सम्पदा।

- **तात्कालिक एवं मध्यवर्ती कब्जा** – जब कोई व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर कब्जा अर्जित करता है तो उसे “तात्कालिक कब्जा” कहा जाता है लेकिन जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कब्जा प्राप्त करता है तो वह मध्यवर्ती कब्जा कहा जाता है।
- **तथ्यतः कब्जा एवं विधित कब्जा** – तथ्यतः कब्जे का अर्थ है वस्तु पर भौतिक नियंत्रण होना तथा विधित कब्जे का अर्थ है विधि के अन्तर्गत कब्जे का अधिकार होना।
- **आन्वयिक (प्रतीकात्मक) कब्जा** – किसी वस्तु पर प्रतीक के तौर पर कब्जा होना जैसे मकान की चाबियाँ किसी को सौंपने पर वह प्रतीकात्मक कब्जा माना जाता है।
- **समवर्ती कब्जा** – किसी वस्तु पर एक साथ दो या अधिक व्यक्तियों का कब्जे का दावा जो परस्पर विरोधी नहीं होते हैं। जैसे सहस्वामी (शेयर)।
- **प्रतिकूल कब्जा** – किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व का अतिक्रमण तथा उसे स्वामित्व से बहिष्कृत करने के आशय से किया गया कब्जा प्रतिकूल कब्जा होता है।
- **कब्जा एवं स्वामित्व** – कब्जे एवं स्वामित्व में समानता
 - स्वामित्व एवं कब्जे दोनों में ही उस वस्तु पर अधिकार होता है। दोनों के स्थानांतरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसे- स्वामित्व को स्थानांतरित करने के लिए कब्जे को स्थानान्तरित करना होता है।
 - कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है।

कब्जे एवं स्वामित्व में असमानताएँ

क्र.सं.	स्वामित्व	क्र.सं.	कब्जा
1.	हमेशा वैधानिक होता है।	1.	हमेशा वैधानिक नहीं होता है।
2.	यह विधिक अधिकार है जो वैधानिक स्थिति दर्शाता है।	2.	यह एक अधिकार है जो वास्तविक स्थिति दर्शाता है।
3.	स्वामित्व में वैधानिक मान्यता आवश्यक होती है।	3.	कब्जे में नियत एवं नियंत्रण आवश्यक होती है।
4.	स्वामित्व में सभी अधिकारों का संकलन होता है।	4.	कब्जे में केवल उपयोग एवं उपभोग के अधिकार का संकलन होता है।
5.	स्वामित्व के अन्तरण के लिए विधिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।	5.	कब्जे के अन्तरण के लिए सीमित विधिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।

6.	भौतिक नियंत्रण स्वामित्व की अवधि निर्धारित नहीं करता है।	6.	भौतिक नियंत्रण कब्जे की अवधि निर्धारित करता है।
7.	स्वामित्व हमेशा सही एवं नियमानुसार होता है।	7.	कब्जा गैरकानूनी एवं गलत भी हो सकता है।
8.	स्वामित्व में कब्जे का अधिकार होता है।	8.	कब्जाधारी को हमेशा स्वामित्व में कब्जे का अधिकार नहीं होता है।

❖ व्यक्तित्व (Personality)

- व्यक्तित्व विधि द्वारा निर्मित एक इकाई है जिस पर विधि अधिकार एवं कर्तव्य आरोपित करती है।
- व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति – यूनानी (Greek प्रोसोपोन Persopon - Latin लैटिन परसोना Persona - English अंग्रेजी परसन Person.

❖ व्यक्ति के प्रकार

- प्राकृतिक व्यक्ति— प्राकृतिक व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे जीवित प्राणी से है जिसमें कुछ अधिकार निहित होते हैं तथा जिस पर कुछ कर्तव्य अधिरोपित किये जा सकते हैं।
- कृत्रिम व्यक्ति— कृत्रिम व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे इकाइयों से है जो जीवित प्राणी नहीं होते हुए भी व्यक्ति माने जाते हैं ऐसे व्यक्ति को विधिक व्यक्ति माना जाता है।

❖ विधिक व्यक्ति की परिभाषा –

- सामण्ड के अनुसार – “विधिक व्यक्ति से अभिप्राय मानव के अलावा अन्य किसी ऐसी इकाई से होता है जिसे विधि के अन्तर्गत व्यक्तित्व प्राप्त है।
- केल्सन के अनुसार— “विधिक व्यक्ति एक मिथक है क्योंकि इसमें अधिकार एवं कर्तव्यों से अधिक और कुछ नहीं होता है।
- प्रो-ग्रे के अनुसार— “व्यक्ति एक अस्तित्व या सत्ता है जिस पर अधिकार एवं कर्तव्य अधिरोपित किए जा सकते हैं।
- ऑस्टिन के अनुसार— “अवस्था या प्रास्थिति में विहित मनुष्य ही विधिक दृष्टि से व्यक्ति कहलाता है।”

❖ विधिक व्यक्ति के प्रकार

- **निगम**— व्यक्तियों का समूह या शृंखला जिसे विधिक मिथक द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- **संस्था**— यह निगमित निकाय के तुल्य होती है। इनका शाश्वत उत्तराधिकार होता है और सामान्य मुहर भी। इनके द्वारा सम्पत्ति धारण की जा सकती है। इनके विरुद्ध एवं इनके द्वारा वाद लाया जा सकता है। जैसे— विश्वविद्यालय, चिकित्सालय आदि।
- **निधि या सम्पदा** — विशिष्ट प्रयोजनों में प्रयुक्त निधि या सम्पदा को भी विधिक व्यक्ति माना गया है। जैसे—न्यास सम्पदा, मृत या दिवालिया व्यक्ति की सम्पत्ति आदि।

❖ निगमित व्यक्तित्व

- निगमित व्यक्तित्व की संरचना अधिनियमित विधि के अधीन होती है। यह विधिक व्यक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।
- **ये दो प्रकार के होते हैं —**
 - **एकल निगम** — एकल निगम से अभिप्राय है कृत्रिम व्यक्तियों की एक निगमित शृंखला से होता है जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति होता है। जैसे— इंग्लैण्ड का सम्राट, लोक पद जैसे— राष्ट्रपति।
 - **समष्टि निगम** — एक विशेष उद्देश्य हेतु संगठित व्यक्तियों का समूह समष्टि निगम है। जैसे लिमिटेड कम्पनी आदि। अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा धारण किये अंश के बराबर होता है। अतः व्यक्तियों के दायित्व एवं अधिकार सीमित होते हैं। सदस्यों के बदले एवं चले जाने पर भी निगम का अस्तित्व बना रहता है। इसमें सदस्यों का कोई निजी दायित्व नहीं होता। उदाहरण— कम्पनी के दिवालिया होने पर उसके सदस्यों की निजी सम्पत्ति पर कोई खतरा नहीं होता।

❖ निगमित व्यक्तित्व की विशेषताएँ

- इसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है निगमित निकाय की कभी मृत्यु नहीं होती है निगमित निकाय के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर या उसके हट जाने से निकाय का समापन नहीं हो जाता है अपितु ऐसे व्यक्ति का स्थान उसके वारिस या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ले लिया जाता है।
- इसकी अपनी एक सामान्य मुहर होती है।
- यह सम्पत्ति धारण कर सकता है।

- इसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है एवं इसकी ओर से वाद लाया जा सकता है।

❖ कॉरपोरेट पर्दा (Corporate Veil)

- कॉरपोरेट पर्दे की अवधारणा वैधानिक व्यक्तित्व से जुड़ी है। यह पर्दा वैधानिक निकाय के सदस्यों को निजी दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि सभी देयताएँ एवं दायित्व वैधानिक व्यक्तित्व के होते हैं परन्तु यह पर्दा अपारगम्य नहीं है। क्योंकि यदि वैधानिक व्यक्तित्व का उपयोग विधि के विरुद्ध या धोखाधड़ी आदि के लिए किया जाये तो न्यायालय इस पर्दे को उठाने का आदेश दे सकता है। **उदाहरण-** DRT (Debt Recovery Tribunal) विजयमाल्या की कम्पनी किंगफिशर के कॉरपोरेट पर्दे को उठाने का आदेश दिया था।
- अतः वैधानिक व्यक्तित्व वैधानिक सम्बन्धों में सुगमता से समन्वय बनाये रखता है तथा सभी अंशधारकों को एक संयुक्त व्यक्तित्व प्रदान करता है।

❖ दायित्व (Liability)

- **सॉमण्ड के अनुसार** "दायित्व आवश्यकता का वह बन्धन है जो कि दोषकर्ता एवं दोष के उपचार के बीच होता है।"
- विधि की अवधारणा में दायित्व का अर्थ है किसी भी कार्य या चूक के लिए किसी को उत्तरदायी बनाना। दायित्व विधिक बाध्यता उत्पन्न करता है। दायित्व सिविल या आपराधिक हो सकता है।
- दायित्व या तो नागरिक गतिविधियों/अपकृत्य (Torts) या अनुबन्ध की शर्तों के लिए अधिरोपित किया जा सकता है। अपकृत्य के लिए बीमा उपलब्ध करवाया जा सकता है परन्तु अनुबन्ध के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

❖ दायित्व के प्रकार

- **प्राथमिक दायित्व** – वह दायित्व जिसके लिए व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपने कृत्य या अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होता है।
- **द्वितीयक दायित्व** – यह दायित्व तब उत्पन्न होता है जब प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों एवं बाध्यता को पूर्ण करने में असफल रहता है। यह अप्रत्यक्ष दायित्व है।
- **सीमित दायित्व** – इस प्रकार के दायित्व में व्यक्ति की जवाबदेही सीमित होती है। जैसे वैधानिक निकाय के सदस्य या अंशधारक का दायित्व केवल उतना ही होता है जितना उसने निवेश किया है।

- **संयुक्त दायित्व** – जब एक से अधिक व्यक्तियों को किसी कानूनी बाध्यता हेतु उत्तरदायी ठहराया जाता है तो उसे संयुक्त दायित्व कहते हैं।
- **पृथक दायित्व** – जब व्यक्ति किसी संस्था या निकाय में पृथक रूप से अपने कृत्यों हेतु उत्तरदायी ठहराया जाये तो उसे पृथक दायित्व कहते हैं।
- **पूर्ण दायित्व** – जब व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो तो उसे पूर्ण दायित्व कहते हैं।
- **प्रतिनिधिक दायित्व** – जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य के लिए उत्तरदायी होता है।

❖ विधिक व्यक्तित्व तथा दायित्व

- विधिक व्यक्तित्व के अधिकारों के साथ बहुत से दायित्व भी होते हैं जिन्हें पूर्ण करने में असफल होने पर उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। विधिक व्यक्तित्व अपने सदस्यों को दायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है।

❖ विधिक अधिकार (Legal Rights)

- विधिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो विधि में मान्यता रखते हैं तथा उन्हें विधि द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है।
- डॉ. एलेन – “अधिकार से अभिप्राय है किसी हित को प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्रत्याभूत शक्ति।”
- **सॉमण्ड**— “विधिक अधिकार विधि द्वारा मान्य एवं संरक्षित हित है।”
- **इहरिंग**— “अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है।”
- **प्रो. ग्रे.** “विधिक अधिकार एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने के लिए वैधानिक कर्तव्य द्वारा आबद्ध या बाध्य करता है।”

❖ विधिक अधिकार के सिद्धांत

- **इच्छा सिद्धांत** – इस सिद्धांत के अनुसार इच्छा ही अधिकार का मुख्य तत्व है। अधिकार मानव इच्छा से उत्पन्न होता है। विधि का प्रयोजन व्यक्ति को अपने को अभिव्यक्त करने के साधन प्रदान करना है। जिसके लिए अधिकार दिये जाते हैं। ऑस्टिन हॉलैण्ड, पोलक इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं।
- **हित सिद्धांत** – इहरिंग ने यह सिद्धांत दिया जिसके अनुसार अधिकार का आधार हित है। क्योंकि इच्छा के बिना भी अधिकार हो सकते हैं जैसे शिशु, पागल और निगम को विधिक

अधिकार प्राप्त होते हैं परन्तु उनमें इच्छा नहीं होती है। अतः विधिक अधिकार विधि द्वारा रक्षित हित है।

❖ विधिक अधिकार के तत्व –

➤ सॉमण्ड के अनुसार विधिक अधिकार के पाँच प्रमुख तत्व होते हैं।

- **अधिकार का हकदार व्यक्ति** – अधिकार व्यक्ति में निहित होता है अतः अधिकार के अस्तित्व के लिए एक हकदार होना चाहिए।
- **अधिकार से आबद्ध व्यक्ति** – ऐसा व्यक्ति जिसका कर्तव्य अधिकार की पालना करना हो।
- **अधिकार की विषय वस्तु** – व्यक्ति के अधिकार का जिस वस्तु (Object) से सम्बन्ध हो उसे अधिकार की विषय वस्तु कहते हैं।
- **अधिकार की अन्तर्वस्तु** – अधिकार आबद्ध व्यक्ति को कोई कार्य करने अथवा नहीं करने के लिए बाध्य करता है। इसे कार्य या प्रविरति (Act or Omission) कहते हैं। इसे अधिकार की अन्तर्वस्तु माना जाता है।
- **अधिकार का स्वत्व या हक (Title)** – हक से अभिप्राय है वह तथ्य या घटना जिसके कारण अधिकार व्यक्ति में निहित होता है। इस घटना या तथ्य के कारण ही अधिकार अस्तित्व में आता है।

➤ **हॉफील्ड के अधिकारों का वर्गीकरण** – हॉफील्ड ने अधिकार, स्वतंत्रता, शक्ति और उन्मुक्ति की सहचर्यकर्ता और प्रतिकूल अवधारणाओं को स्पष्ट किया है—

अधिकार	▲	स्वतंत्रता
कर्तव्य	–	अधिकार शुन्यता
शक्ति	–	उन्मुक्ति
अधीनता	–	निर्योग्यता

❖ विधिक अधिकारों के प्रकार

➤ सकारात्मक एवं नकारात्मक अधिकार (Positive and Negative Rights) – वह अधिकार जो आबद्ध व्यक्ति को कुछ करने के लिए बाध्य करे उसे सकारात्मक अधिकार कहते हैं। तथा वह

अधिकार जो आबद्ध व्यक्ति को कुछ न करने के लिए बाध्य करे उसे नकारात्मक अधिकार कहते हैं।

- वास्तविक और व्यक्तिगत अधिकार (Real and Personal Rights) – वास्तविक अधिकार लोकलक्षी होते हैं क्योंकि यह अधिकार सम्पूर्ण विश्व के विरुद्ध प्राप्त एवं संरक्षित होते हैं। जैसे सम्पत्ति का अधिकार। जबकि व्यक्तिगत अधिकार केवल व्यक्ति विशेष या निर्धारित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त एवं संरक्षित होते हैं। वास्तविक अधिकार को Rights in Rem तथा व्यक्तिगत अधिकार को Rights in Personam भी कह सकते हैं।
- पूर्ण तथा अपूर्ण अधिकार (Perfect and imperfect rights) – पूर्ण अधिकार वह अधिकार हैं जिनके उल्लंघन किये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में वाद संस्थित किया जा सकता है। जबकि अपूर्ण अधिकार से अभिप्राय ऐसे अधिकार से हैं जिसे विधिक मान्यता तो प्राप्त होती है लेकिन जिसका विधि द्वारा प्रवर्तन नहीं करवाया जा सकता है।
- साम्पत्तिक एवं वैयक्तिक अधिकार (Proprietary and Personal rights) – साम्पत्तिक अधिकार मनुष्य की सम्पत्ति या सम्पदा में निहित होता है जबकि मनुष्य के वैयक्तिक अधिकारों का सम्बन्ध उसकी प्रतिष्ठा, हैसियत, व्यक्तित्व आदि से होता है।
- वंशानुगत एवं अवंशानुगत अधिकार (Inheritable and Uninheritable rights) – वंशानुगत अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के मरने के बाद भी अस्तित्व में रहते हैं एवं अगली पीढ़ी को मिलते हैं। जबकि अवंशानुगत अधिकार वह होते हैं जो व्यक्ति के जीवन काल तक ही रहते हैं।
- स्व-साम्पत्तिक एवं पर-साम्पत्तिक अधिकार (Rights in Re propria and rights in Re Aliena) – किसी व्यक्ति का अपनी सम्पत्ति पर अधिकार स्व-साम्पत्तिक अधिकार कहलाता है तथा किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति पर अधिकार पर-साम्पत्तिक अधिकार कहलाता है।
- प्रधान एवं सहायक अधिकार (Principal and accessory rights) – प्रधान अधिकारों का अस्तित्व अन्य अधिकारों से स्वतंत्र होता है जबकि सहायक अधिकार प्रधान अधिकार का अनुषंगी अधिकार होता है।
- लोक एवं निजी अधिकार (Public and Private Rights) – राज्य में निहित अधिकार लोक अधिकार कहलाता है जबकि व्यक्ति में निहित अधिकार निजी अधिकार कहलाता है।
- मूल एवं संवैधानिक अधिकार (Fundamental and Constitutional Rights) – मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं जबकि संवैधानिक अधिकार अपेक्षाकृत उतने आवश्यक नहीं होते हैं।

- निहित अधिकार और संभाव्य अधिकार (Vested and Contingent rights) – निहित अधिकार वह होते हैं जो स्वतः पूर्ण हो और जहाँ सारी आवश्यक शर्तें पूर्ण होती हैं। जबकि सम्भाव्य अधिकार वह होते हैं जो किसी घटना के होने पर या किसी शर्त के पूर्ण होने पर निहित होते हैं। इसे समाश्रित अधिकार भी कहते हैं।
- विधिक एवं साम्यिक अधिकार (Legal and Equitable Rights) – विधि द्वारा मान्य अधिकारों को विधिक अधिकार कहते हैं तथा साम्यिक अधिकार व्यक्ति द्वारा दिये गए अंश पर निर्भर करते हैं। यह अनिश्चित अधिकार होते हैं। जहाँ दोनों अधिकार में द्वंद की स्थिति होती है वहाँ विधिक अधिकार को प्राथमिकता मिलती है।

❖ विधिक कर्तव्य (Legal Duties)

- ग्रे के अनुसार “विधि का मुख्य उद्देश्य लोगों को कुछ विशिष्ट कार्य करने या ना करने के लिए बाध्य करना जिससे मानवीय हितों का संरक्षण किया जा सके इस बाध्यता को कर्तव्य कहते हैं।”
- हिबर्ट के अनुसार “कर्तव्य व्यक्ति में निहित वह बाध्यता है जिसके कार्यों को राज्य की सहायता एवं अनुमति से नियंत्रित किया जा सकता है।”

❖ कर्तव्य के प्रकार

- सापेक्ष एवं निरपेक्ष कर्तव्य (Relative and absolute duty) – सापेक्ष कर्तव्य वह होते हैं जिनके सहवर्ती अधिकार भी होते हैं तथा निरपेक्ष कर्तव्य के सहवर्ती अधिकार नहीं होते। ऑस्टिन के अनुसार निरपेक्ष कर्तव्य स्वयं के प्रति, मानवेत्तर (पशु आदि), राज्य के प्रति एवं जन सामान्य के प्रति होते हैं।
- सकारात्मक एवं नकारात्मक कर्तव्य (Positive and negative duty) – वह कर्तव्य जो आबद्ध व्यक्ति को कुछ करने के लिए बाध्य करें उसे सकारात्मक कर्तव्य कहते हैं तथा वह जो कुछ न करने को बाध्य करे उन्हें नकारात्मक कर्तव्य कहते हैं।
- प्राथमिक एवं द्वितीयक कर्तव्य (Primary and Secondary duty) – जब कर्तव्य किसी दूसरे कर्तव्य से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हो तो इसे प्राथमिक कर्तव्य एवं जब उसका प्रयोजन किसी अन्य कर्तव्य को प्रवर्तित करना हो तो उसे द्वितीयक कर्तव्य कहते हैं।
- विधिक एवं नैतिक कर्तव्य (Legal and Moral Duty) – वह कर्तव्य जो विधि द्वारा मान्य हो और न्याय के प्रबंधन के लिए आवश्यक हो उन्हें विधिक कर्तव्य कहते हैं। वह कर्तव्य जो नैतिकता के आधार पर किये जाते हैं उन्हें नैतिक कर्तव्य कहते हैं।

❖ अधिकारों एवं कर्तव्यों में संबंध

- अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे से इस प्रकार सह सम्बन्धित है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना सम्भव नहीं है। विधिशास्त्री इस तथ्य पर सहमत है कि प्रत्येक अधिकार के साथ एक सहवर्ती कर्तव्य जुड़ा होता है परन्तु इस बात पर पूर्ण मतैक्य नहीं है कि प्रत्येक कर्तव्य के साथ सहवर्ती अधिकार होना अनिवार्य है क्योंकि कुछ कर्तव्य निरपेक्ष होते हैं।
- एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। सॉमण्ड के अनुसार अधिकार एवं कर्तव्य दो व्यक्तियों के बीच वैधानिक दायित्व का एक बंध बनाते हैं।
- अतः सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप में जुड़े हैं एवं एक दूसरे के सहवर्ती हैं।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम – 1956

भूमि संबंधी मामलों, कानून, राजस्व, न्यायालयों, राजस्व अधिकारियों और ग्राम सेवकों की नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य संबंधी अभिलेखों और नक्शों की तैयारी तथा सार संभाल, राजस्व लगान की वसूली और उनसे संबंधित प्रासंगिक मामलों में विधि कानून को समेकित तथा संशोधित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। इसमें 11 अध्याय एवं 2 अधिसूचनाएँ हैं।

❖ अध्याय – 1

- धारा 3 परिभाषाएँ
- नजूल भूमि से अभिप्राय राज्य सरकार में निहित उस आबादी भूमि से है जो नगरपालिका या पंचायत सर्किल या गाँव, कस्बा या शहर की सीमा के अंदर हो।

❖ अध्याय – 2

- धारा 4 राजस्व बोर्ड की स्थापना और गठन इसके अंतर्गत एक राजस्व बोर्ड का गठन किया जायेगा जिसमें 3 से 20 सदस्य होंगे तथा एक अध्यक्ष होगा। (पहले 15 सदस्यों का प्रावधान था जो 2011 में संशोधित करके 20 कर दिया)
- धारा – 5 – सदस्यों का कार्यकाल, बोर्ड के सभी सदस्य राज्यपाल की प्रसन्नता पर्यन्त पद धारण करेंगे।
- धारा – 6 – बैठक का स्थान राजस्व मण्डल का मुख्यालय अजमेर में होगा।
- धारा – 7 – राज्य सरकार बोर्ड का रजिस्ट्रार प्रशासी अधिकारीगण और अन्य अधिकारी जो बोर्ड (मण्डल) के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हैं नियुक्त करेगी।


❖ राजस्व मण्डल की शक्तियाँ

- यह मण्डल राज्य में अपील, पुनर्निरीक्षण और निर्देशन का उच्चतम राजस्व न्यायालय माना गया है। (धारा 8)
- इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन समस्त राजस्व न्यायालयों तथा समस्त राजस्व अधिकारियों पर पूर्ण अधीक्षण तथा नियंत्रण मण्डल में निहित होगा और ऐसे समस्त न्यायालय तथा अधिकारी मण्डल के अधीनस्थ होंगे। (धारा 9)
- बैंच की निर्देश करने की शक्ति (धारा 11)

- किसी प्रश्न को उच्च न्यायालय को निर्देश करने की शक्ति
- (धारा 12) – यदि किसी मुकदमें में पीठ को ये प्रतीत हो कि कोई प्रश्न सार्वजनिक महत्व का है और उस पर उच्च न्यायालय का अभिमत प्राप्त करना हितकर है तो बैंच उस प्रश्न को उच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकती है।
- मतभेद की दशा में विनिश्चय करने की शक्ति (धारा 13)
- मण्डल ऐसे रजिस्टर, बहियाँ और हिसाब (लेखे) रखवायेगा और संधारित करवायेगा जैसा कि उसके कार्य सम्पादन के लिए निर्धारित किये जायें या आवश्यक हों। (धारा 14)
- मण्डल का अध्यक्ष मण्डल के कार्यों का वितरण कर सकता है।
- मण्डल से संबंधित नियम बनाने की शक्तियाँ।
- राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य शक्तियाँ।

❖ अध्याय – 3 – राजस्व न्यायालय तथा अधिकारीगण

- धारा 15 प्रादेशिक क्षेत्र
- राज्य सरकार राज्य के राजस्व तथा सामान्य प्रशासन के लिए राज्य को निम्नलिखित में बाँट सकती है।



❖ न्यायालय तथा अधिकारीगण

- राज्य के लिए – भू-प्रबंध आयुक्त एवं अतिरिक्त आयुक्त, भू-अभिलेख निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक
- संभाग के लिए – आयुक्त, उपायुक्त
- जिले के लिए – जिलाधीश, अतिरिक्त भू- अभिलेख अधिकारी, भू-प्रबन्ध अधिकारी,
- उपखण्ड के लिए – सहायक जिलाधीश (उपखण्ड अधिकारी)
- तहसील के लिए – तहसीलदार, नायब तहसीलदार (उपतहसील)
- राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नये संभाग, जिले एवं तहसील बना सकती है। उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या उन्हें पूर्णतया समाप्त कर सकती है।

❖ राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य धारा 25

- सभी अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहण करेंगे।
- भू-प्रबन्ध आयुक्त राज्य की भूमि बंदोबस्त के सभी मामलों का निपटारा करेगा। भू-अभिलेख निदेशक राज्य में सर्वेक्षण करायेगा तथा भू-अभिलेखों की तैयारी पुनर्निरीक्षण तथा रख-रखाव करेगा।
- धारा 26 राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियाँ दे सकती है।

❖ राजस्व अपील प्राधिकरण धारा 20(क)

- राजस्व अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। (कम से कम तीन)
- इन राजस्व अपील प्राधिकारियों को राजस्व न्यायिक मुकदमों में अपीलें, निगरानियाँ, पुनरीक्षण निर्देश (रेफरेंस) लेने, सुनने तथा निर्णय करने का अधिकार होगा।

❖ अध्याय 5 अपील, निर्देश, पुनरीक्षण तथा पुनरवलोकन (प्रथम अपील)

- धारा 75 के अंतर्गत निम्न अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपील इन अधिकारियों को की जा सकती है।

	इन अधिकारियों को	इनके मूल आदेशों के विरुद्ध (30 दिन)
	To	Against original order of
1.	जिलाधीश	तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध (60 दिन)

2.	भू-प्रबन्ध एवं भू राजस्व अधिकारी	राजस्व न्यायालय के आदेश के विरुद्ध
3.	भू-प्रबन्ध आयुक्त	भू-प्रबन्ध अधिकारी या कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध
4.	निदेशक भू अभिलेख	भू अभिलेख अधिकारी के आदेश के विरुद्ध
5.	राजस्व अपील प्राधिकारी को	सहायक कलेक्टर, (SDO) उपखण्ड अधिकारी, कलेक्टर (जिलाधीश)
6.	राजस्व बोर्ड को	आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकरण और भू-प्रबन्ध आयुक्त (90 दिन)

➤ धारा 76 द्वितीय अपील – प्रथम अपील में पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील हो सकती है।

- कलेक्टर के आदेश पर द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को की जा सकती है।
- भू-प्रबंध अधिकारी के आदेश पर द्वितीय अपील भू-प्रबंध आयुक्त को।
- भू-अभिलेख अधिकारी के आदेश पर भू-अभिलेख आयुक्त को द्वितीय अपील।
- आयुक्त या राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा या भू-प्रबंध आयुक्त के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राजस्व मण्डल को की जा सकती है।


➤ धारा 77 कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी –

- भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 की धारा 5 में उल्लिखित कारणों पर अपील को दर्ज करने या पुनरवलोकन के आवेदन-पत्र पर दिए गए आदेश के विरुद्ध।
- पुनरवलोकन या पुनरीक्षण के लिए आवेदन-पत्र को अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध।
- ऐसे आदेश के विरुद्ध जो इस अधिनियम के द्वारा स्पष्टतः अंतिम घोषित कर दिया गया है।
- अंतरिम आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

➤ धारा 78 अपीलों की परिसीमा (मियाद)

- कलेक्टर अथवा भू-अभिलेख अधिकारी अथवा भू-प्रबंध अधिकारी को आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर।
- राजस्व अपील प्राधिकारी, भू-प्रबन्ध आयुक्त या भू-अभिलेख निदेशक को आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर।
- राजस्व मण्डल को आदेश की तिथि के नब्बे दिनों के भीतर।

❖ अध्याय 3 – सदर कानूनगो (निदेशक भू अभिलेख)



- धारा 30 – राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेने के पश्चात् भू-अभिलेख निदेशक जिला के सभी गाँवों को पटवारी हलकों में व्यवस्थित करेगा।
- धारा 31 – पटवारी की नियुक्ति कलेक्टर करेगा।

➤ पटवारी के मुख्य कर्तव्य –

- वार्षिक रजिस्टर और अभिलेखों का रखरखाव करना और सुधार करना।
- हल्के के सभी भूमि धारकों और काश्तकारों से लगान, राजस्व और अन्य माँगों को संग्रहित करना।
- धारा 32 – राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के पश्चात् निदेशक भू अभिलेख पटवारी हलकों को भूमि अभिलेख निरीक्षण हलकों में व्यवस्थित करना।
- धारा 33 – कलेक्टर हर अभिलेख निरीक्षण हलके में गिरदावर कानूनगो जो भू अभिलेख निरीक्षक होगा की नियुक्ति करेगा।
- गिरदावर कानूनगो के कर्तव्य – वार्षिक रजिस्टर एवं अभिलेखों का सही पर्यवेक्षण, संरक्षण एवं संशोधन करना
- धारा 34 – भू-अभिलेख निदेशक हर जिले में सदर कानूनगो की नियुक्ति करेगा। इसके कर्तव्य गिरदावर कानूनगो और पटवारी के कार्यों का निरीक्षण करना।

❖ अध्याय – 6 – भूमि

- समस्त सड़के आदि तथा समस्त भूमियाँ जो दूसरों की सम्पत्ति नहीं हो, राज्य की होगी। (धारा 88)
- समस्त खनिजों खानों और मत्स्य क्षेत्र किसी नदी में नाव चलाने अथवा उसमें सिंचाई के अधिकार राज्य सरकार में निहित हैं। (धारा 89)
- कोई भी व्यक्ति यदि बिना विधि संगत अधिकार के किसी खान या खदान से खनिज पदार्थ निकालता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा निकाले गये खनिज पदार्थ पर 50 रु- प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है। (कम से कम 1000 रु)
- समस्त भूमि पर राजस्व या लगान दिया जायेगा। सिवाय राज्य सरकार द्वारा अनुदानित एवं मुक्त रखी गयी भूमि के। (धारा 90)

➤ धारा 90 (क) –

- कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग तभी लिया जा सकता है जब राज्य सरकार से लिखित अनुमति प्राप्त की गई हो। लिखित अनुमति देने पर राज्य सरकार उस भूमि पर नगर सुधार कर एवं प्रीमियम लेगी।
- यदि सरकार की अनुमति के बिना गैर कृषि कार्यों के लिए भूमि का प्रयोग किया गया तो सरकार उस व्यक्ति को धारा 91 के अंतर्गत बेदखल कर सकती है या जुर्माने के रूप में अतिरिक्त शास्ति, नगर सुधार कर और प्रीमियम ले सकती है।
- इस उपधारा की कोई भी बात देवता, देवस्थान विभाग किसी लोक न्यास या किसी धार्मिक या पूर्त संस्था (Charitable Institution) या वक्फ की किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी।
- इन मामलों के आदेश के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति 30 दिनों के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है तथा अपील का निपटारा 60 दिनों के भीतर किया जायेगा अन्यथा लिखित कारण बताया जायेगा।

➤ धारा 91 – भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले अतिचारी को भूमि से बेदखल किया जायेगा। जितने कृषि वर्षों के लिए अतिचारी का भूमि पर कब्जा रहा हो उतने वर्षों के वार्षिक किराये या लगान का 50 गुणा उससे शास्ति (Penalty) के रूप में लिया जायेगा। दुबारा कब्जा करने पर शास्ति के साथ तीन माह के लिए सिविल जेल (कारावास) हो सकती है।

➤ यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि को अधिभोग में लेता है तो तहसीलदार उसे नोटिस भेज सकता है। यदि नोटिस प्राप्त करने के बाद भी वह अधिभोग नहीं हटाता तो उसे 1 माह से 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है और 20 हजार रुपये तक का जुर्माना।

➤ यदि राज्य सरकार का कोई अधिकारी जानबूझकर ऐसे अपराधों को न रोके तो उसे 1 माह तक का कारावास या 1000 का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। परन्तु यह दंड कलेक्टर की मंजूरी पर ही दिया जाता है।

➤ विशेष प्रयोजनों के लिए भूमि अलग से रखी जा सकती है जैसे पशुओं के निःशुल्क चारागाह के लिए वन आरक्षण हेतु, आबादी के विकास हेतु या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अलग रख सकते हैं। (धारा 92)

➤ चारागाह के उपयोग का विनियमन राज्य सरकार करेगी। (धारा 93) राज्य सरकार को वनों की उपज का विनियमन, प्रबन्ध एवं नियंत्रण करने की शक्ति है। राज्य सरकार (धारा 94) विनियमन के लिए नियम बना सकती है और नियमों का उल्लंघन होने पर 1000 रु. तक जुर्माना होगा या

यदि उल्लंघन जारी रहे तो उसके जारी रहते ऐसा दण्ड जो 50 रु. प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा।

- **धारा 94 (क)** – सड़क के किनारे के वृक्ष सरकार में निहित होंगे तथा उनके गिरने पर उनकी लकड़ी पर सरकार का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पेड़ों की उपज या लकड़ी का अनधिकृत उपयोग करते हैं तो उन्हें सरकार को उसका मूल्य चुकाना होगा। प्रीमियम की दरें जिलाधीश (Collector) निश्चित करेगा।

❖ अध्याय – 7 सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य

- राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना देने के पश्चात् स्थानीय भूमि का सर्वेक्षण कर सकती है।
- सर्वेक्षण और प्रवर्तन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य होंगे।

सीमा चिह्न लगाना

- खेतों का नक्शा और रजिस्टर तैयार करना
 - अधिकार अभिलेख तैयार करना जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—
1. **खेवटः**— एक रजिस्टर जिसमें सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य के अधीन क्षेत्र के भूसम्पत्तिधारी, उसके सहभागीदार, आसामी आदि तथा सीमा व हितों को विनिर्दिष्ट किया जाता है। धारा 114(क)
 2. **खतौनीः**— एक रजिस्टर जिसमें भूमि में काश्त करने वाले या अन्य प्रकार के भूमि धारण या अधिवासित करने वाले व्यक्तियों का विवरण विनिर्दिष्ट किया जाता है। धारा 114 (ख)
 3. **माफी रजिस्टरः**— ऐसा रजिस्टर जिसमें बिना लगान एवं राजस्व के भूमिधारण करने वालों का विवरण रहता है।

- **धारा 120** – भू अभिलेख अधिकारी सर्वेक्षण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गाँवों की एक सूची बनायेगा और उसमें निम्नलिखित विवरण होगा।

- नदी बहाव में प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्र
- अनिश्चित काश्त वाला क्षेत्र
- उस पर निर्धारित राजस्व या लगान तथा वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह अदा किया जाएगा।
- राजस्व व लगान मुक्त क्षेत्र

➤ भू-अभिलेख अधिकारी वार्षिक रजिस्टर भी तैयार करेगा।

❖ अध्याय – 8 – भू-प्रबन्ध क्रियायें

➤ धारा 173 वाजिब उल अर्ज या दस्तूर गँवाई भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें गाँव के निवासियों के अधिकार जैसे सिंचाई का अधिकार, रास्ते का अधिकार, अन्य सुखाधिकार तथा उनके दायित्वों का वर्णन होता है जैसे उपकर जो काश्तकार द्वारा देय हो।

❖ अध्याय – 9 – भू-सम्पत्तियों का विभाजन

❖ अध्याय – 10 – राजस्व का संग्रह (वसूली)

❖ अध्याय – 11 – विविध।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

यह अधिनियम कृषि-भूमियों की काश्तकारी से संबंधित विधि को समेकित करने तथा भूमि सुधार सुनिश्चित करने के लिए 15 अक्टूबर 1955 में लाया गया था। इस अधिनियम में 16 अध्याय, 260 धाराएँ एवं 3 अनुसूचियाँ हैं।

❖ अध्याय - 1

➤ विभिन्न परिभाषाएँ

- **कृषि वर्ष** - 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर आगामी 30 जून को समाप्त होने वाला वर्ष कृषि में उद्यान कार्य, पशुपालन दुग्धशाला, मुर्गीपालन, वानिकी विकास सम्मिलित है।
- **बिस्वेदार** - ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य के किसी भाग में कोई गाँव अथवा गाँव का कोई भाग बिस्वेदार प्रथानुसार दिया जाता है तथा जो अधिकार अभिलेख में बिस्वेदार अथवा स्वामी के रूप में दर्ज किया जाता है और उसमें अजमेर क्षेत्र का खेवटदार सम्मिलित होगा।
- **भू सम्पति धारक** - तत्समय भू-सम्पति के किसी धारक अर्थात् जागीरदार बिस्वेदार या जमींदार अथवा भू-स्वामी।
- **इजारा या ठेका** - लगान की वसूली के लिए दिया गया फार्म या पट्टा, वह क्षेत्र जिसके संबंध में राजस्व वसूली की जाती है वह इजारा अथवा ठेका क्षेत्र कहलायेगा।
- **खुदकाश्त** - राज्य के किसी भाग में किसी भू सम्पतिधारी द्वारा स्वयं काश्त की गयी भूमि और उसमें है -
 - ✓ ऐसी भूमि जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय बन्दोबस्त कागजात में खुदकाश्त, सीर, हबला, निजी जोत घर खेड़ के रूप में उस समय जबकि उक्त कागजात तैयार किये थे, प्रवृत्त कानून के अनुसार दर्ज की गयी हो।
 - ✓ उक्त प्रारंभ के पश्चात् राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत खुदकाश्त के रूप में आवंटित भूमि सम्मिलित होगी।
- **सायर** - सायर में वह सब सम्मिलित है जो कुछ पट्टाधारी या अनुज्ञाधारी द्वारा अनधिवासित भूमि से ऐसी उपज जैसे- घास, फूस, ईंधन, फूल, फल, लाख, गोंद, लूंग, वाला, पत्ती, सिंघाड़ा या कोई वस्तु अथवा ऐसा कूड़ा - कर्कट जैसे भूमि पर बिखरी हुई

हड्डियाँ या गोबर इकट्ठा करने के अधिकार के लिए अथवा मछली पकड़ने के अधिकार के लिए या वन संबंधी अधिकारों के लिए भुगतान किया जाना है।

- **शिकमी आसामी** – इससे अभिप्राय राज्य के किसी भाग में चाहे किसी भी नाम से जाने वाले ऐसे व्यक्ति से होगा जो भूमि के आसामी से लेकर भूमि धारण करता है। जिसमें मालिक अथवा भू-स्वामी से भूमि धारण करने वाला आसामी सम्मिलित है और जिसके द्वारा लगान व्यक्त संविदा के अभाव में देय हो।
- **नालबट** – इससे अभिप्राय किसी कुएँ के स्वामी को, उस कुएँ को सिंचाई के लिए उपयोग करने के बदले किसी व्यक्ति द्वारा नकद में या जिन्स (गेहूँ, या अन्य वस्तुएँ) में किये जाने वाले भुगतान से होगा।

❖ अध्याय – 2

- **खुदकाश्त** – इस अध्याय में खुदकाश्त के अधिकार उत्तराधिकार तथा हस्तान्तरण के बारे में बताया है। इसमें यह बताया गया है कि खुदकाश्त को किराये पर नहीं दिया जा सकता। खुदकाश्त भूमि का अवसान किन-किन परिस्थितियों में हो सकता है यह भी सविस्तार बताया गया है। यदि कोई भू सम्पदा का किसी विधि के अन्तर्गत उन्मूलन हो जाता है। तो खुदकाश्त का धारक व्यक्ति खातेदार आसामी जैसे ही होगा। खुदकाश्त अधिकार हस्तान्तरणीय नहीं है। यह केवल विनियम, विभाजन या दान द्वारा हस्तान्तरित होती है।

❖ अध्याय – 3

- **अभिधारियों के वर्ग** – इस अध्याय के अन्तर्गत विभिन्न आसामियों की श्रेणियों का वर्णन किया गया है जो निम्नलिखित हैं।
 - **मालिक** – जागीरदारी और जमीनदारी के उन्मूलन पर उन्हें मालिक की संज्ञा दी जाती है।
 - **खुदकाश्त आसामी** – खुदकाश्त के धारक खुदकाश्त के आसामी कहलाते हैं।
 - **खातेदार आसामी** – ऐसे भूमिधारी जिनका नाम धारक के रूप में खाते में दर्ज हो, खातेदार आसामी कहलाते हैं।
 - **गैर खातेदार आसामी** – ऐसा भूमिधारी जिसका नाम खाते में दर्ज होना शेष है, गैर-खातेदार आसामी कहलाते हैं।
 - **शिकामी आसामी** – आसामी में भूमि प्राप्त करने वाला व्यक्ति शिकामी आसामी कहलाता है।

- परन्तु कुछ भूमियों में खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते—जैसे गोचर भूमि, नदी तल जो कभी-कभी कृषि के लिए प्रयुक्त हो, सिंघाड़ा आदि उपज पैदा करने के लिए प्रयुक्त जल मग्न भूमि, अस्थायी कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि, म्युनिसिपल खाइयों के स्थल कृषि, शिक्षण या खेल के मैदानों के लिए प्रयुक्त भूमि, सरकार के कृषि फार्म या घास के फार्म की सीमाओं के भीतर स्थित गाँव के पीने के पानी के लिए जलाशय या टांके के लिए प्रयुक्त भूमि। सरकारी बाग की भूमि, लोक प्रयोजन के लिए धारित भूमि, सैनिक पड़ाव स्थल, छावनी के भीतर की भूमि, रेलवे या नहर की सीमा को भीतर भूमि।

❖ अध्याय – 3 (क)

- इस अध्याय में मुआवजे का भुगतान करने पर शिकमी आसामियों तथा खुदकाश्त के आसामियों को अधिकार प्रदान किये जाने का वर्णन किया गया है। अंसिचित भूमि का मुआवजा 15 गुणा, सिंचित भूमि का मुआवजा 20 गुणा, भूमि सुधार के लिए भी मुआवजा देय होगा। नालबट के अधिकार के संबंध में दस गुणा मुआवजा देय होगा।

❖ अध्याय – 3 (ख) अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने पर प्रतिबन्ध

❖ अध्याय – 3 (ग) भूमिधारियों (आसामी) के प्राथमिक अधिकार

- निवास के लिए मकान हेतु स्थान का अधिकार
- लिखित पट्टा एवं उसके प्रतिलेख का अधिकार
- पट्टों का प्रमाणीकरण करने का अधिकार
- प्रीमियम एवं बेगार से मुक्ति
- लगान से भिन्न/सदाय से मुक्ति
- रिहायशी घर से संबंधित सामग्री उपयोग करने का अधिकार
- नालबट के अधिकार का अधिग्रहण करना।

❖ अध्याय – 4 अवतरण, अन्तरण, विनियम तथा विभाजन

- आसामी का अपने भूमि क्षेत्र में हितदाय-योग्य (विरासतीय) है परन्तु अन्तरणीय नहीं है। भूमि क्षेत्र का हित का अवतरण, अन्तरण, विनियम या विभाजन किया जा सकता है परन्तु अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्य से ऐसा सदस्य भूमि क्षेत्र का हित नहीं ले सकता जो अनुसूचित जाति/जनजाति का नहीं हो।
- सहरिया जनजाति से भी वह व्यक्ति भूमि – क्षेत्र का हित नहीं ले सकता जो सहरिया नहीं हो।

- कोई खुदकाश्तधारी या खातेदार आसामी अपनी भूमि के किसी भाग को शिकमी – काश्त के लिए पट्टे पर दे सकता है परन्तु यह केवल 5 वर्ष के लिए दी जाती है तथा पट्टे की समाप्ति के बाद दो वर्ष के बाद ही वह भूमि पुनः शिकमी – काश्त के लिए दी जायेगी। गैर- खातेदार आसामी केवल एक वर्ष के लिए शिकमी-काश्त के लिए भूमि दे सकता है।
- अनुसूचित जाति/ जनजाति के आसामी केवल अनुसूचित जाति/ जनजाति को ही भूमि पट्टे पर दे सकते हैं। परन्तु कृषि – प्रसंस्करण और कृषि- कारोबार कृषि सक्रियाओं जैसे प्रोसोपिस जूलीफ्लोर या विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाली भूमि खुदकाश्त का धारक या भू स्वामी पट्टे या खातेदार उप पट्टे पर 15 वर्ष की अवधि के लिए दे सकेगा और ऐसे पट्टे या उप-पट्टे को 15 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- अन्य उद्योगों के लिए यह अवधि 20 वर्ष + 20 वर्ष है।

❖ अध्याय – 5

- आसामी या अभिधारी द्वारा अपनी भूमि क्षेत्र पर से हित समर्पण परित्याग तथा अवसान अभिधृतियों का अभ्यर्पण किया जा सकता है।

❖ अध्याय – 6

- सुधार राज्य सरकार द्वारा किसी भी भूमि का सुधार किया जा सकता है। तहसीलदार की अनुमति से खातेदार आसामी या भूमिधारी भी अपनी भूमि-क्षेत्र में कोई सुधार कर सकता है। सुधार से इंकार भी कर सकता है। सुधार के लिए मुआवेजा पाने का हक भी होता है।

❖ अध्याय – 7 – वृक्ष

- कोई आसामी अपने भूमि- क्षेत्र में वृक्ष लगा सकता है बशर्ते है कि उक्त वृक्ष भूमि की उत्पादन शक्ति को कम न करे और उक्त आसामी भूमि-क्षेत्र का सम्पूर्ण लगान देता रहे। खातेदार आसामी अपने भूमि-क्षेत्र में स्थित वृक्षों को किसी भी प्रयोजनार्थ हटा सकता है। गैर खातेदार आसामी अपने भूमि क्षेत्र में स्थित वृक्षों को तहसीलदार की पूर्व अनुमति से हटा सकेगा। शिकमी आसामी अपने भूमि के मालिक की अनुमति से पेड़ हटा सकता है।
- वृक्षों से संबंधित विवाद का निर्णय तहसील द्वारा किया जायेगा।
- अवैध रीति से वृक्ष हटाने पर शास्तियों का प्रावधान है।

❖ अध्याय – 8 घोषणात्मक दावें

- कोई व्यक्ति जो आसामी या सह आसामी होने का दावेदार है घोषणा करवाने के लिए अथवा ऐसी संयुक्त काश्तकारी में अपने हिस्से की घोषणा करवाने के लिए दावा कर सकेगा।
- काश्तकारी – वर्ग, भूमि-क्षेत्र के क्षेत्रफल, संख्याकित प्लॉट अथवा सीमाओं, भूमि-क्षेत्र के विषय में देय लगान तथा चुकाने की रीति आदि की घोषणा कर सकते हैं।

❖ अध्याय – 9 लगान का निर्धारण तथा उसमें परिवर्तन

- राज्य सरकार लगान की दर आदि का निर्धारण करती है। आसामी लगान नकद या जिन्स में दे सकता है। जिन्स में देय लगान समग्र उपज के $1/6$ भाग से अधिक नहीं होगा। भूमिधारी जहाँ शिकमी आसामियों या खुदकाश्त के आसामियों को उपज में योगदान देता है। (व्यय का 50 प्रतिशत)
- वहाँ जिन्स लगान समग्र-उपज के $1/4$ तक होगा।
- लगान संबंधी मामलों का निर्णय लगान दर अधिकारी करेगा।
- लगान मृदा वर्गीकरण, मडियों की प्रचालित कीमत आदि के आधार पर होता है। लगान में वृद्धि वर्तमान लगान के $1/4$ भाग से अधिक नहीं होगा। कृषि संबंधी आपत्तियों के समय लगान की छूट या स्थगन हो सकता है। संकटकाल में लगान का पुनरीक्षण होगा।

❖ अध्याय – 10 लगान का भुगतान और वसूली।

- लगान का भुगतान आसामी भूमिधारी को करेगा। कलेक्टर द्वारा खाद्यान्न एवं अखाद्यान्न की उपज की प्रचालित मूल्यों की तालिका प्रकाशित की जायेगी। जो उपज के नकद मूल्य के निर्धारण में सहायक होगी। लगान/किश्तों में दिया जा सकता है। भूमिधारी बकाया की वसूली के लिए वाद प्रस्तुत कर सकेगा। सिंचाई या नालबट के कारण देय रकम के बकाया होने पर भी वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य सरकार को देय लगान की वसूली भू राजस्व के रूप में होगी।

❖ अध्याय – 11

- **बेदखली** – आसामी को विभिन्न कारणों के आधार पर भूमि क्षेत्र से बेदखल किया जा सकता है। जैसे –

- ✓ लगान न देने पर।
- ✓ अवैध अन्तरण या उप पट्टे पर देने के कारण
- ✓ हानिप्रद कार्य या शर्तभंग के कारण

✓ कतिपय अतिक्रमियों की बेदखली

- इसमें बेदखली होने पर सुधार के लिए मुआवजा मिलेगा तथा अवैध बेदखली के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

❖ अध्याय – 12 भूमि का अनुदान

- भूमि का अनुदान अनुकूल लगान दर पर किया जा सकता है। जिसके अन्तर्गत अनुदानग्रहीता खातेदार आसामी समझा जायेगा तथा उसके द्वारा लगान देय होगा। यदि ग्राम सेवा हेतु अनुदान दिया जाता है तो ग्राम सेवक गैर खातेदार आसामी समझा जायेगा जिसे लगान नहीं देना पड़ता। अनुग्रहिता को लगान न देने पर बेदखल किया जा सकता है। ग्राम सेवक को तहसीलदार द्वारा नोटिस देकर बेदखल कर सकते हैं यदि वह भूमि का उचित उपयोग न करे तो।

❖ अध्याय – 13 बागधारक

- उपवन धारी को विभिन्न अधिकार होंगे जैसे वृक्ष काटने या बेचने का अधिकार सुधार आदि का अधिकार उपवन धारी अपने भूमि क्षेत्र को बेच या दान दे सकता है। उपवन की उपज को वह संग्रहित या बेच सकता है या तीन वर्ष तक के ठेके पर दे सकता है। उपवन-भूमि का लगान नकद में देय होगा। उपवन भूमि को शिकमी-पट्टे पर भी दे सकते हैं। उपवन धारी को लगान न देने पर बेदखल किया जा सकता है।

❖ अध्याय – 14 इजारेदार अथवा ठेकेदार

- इजारेदार को विभिन्न अधिकार होंगे जैसे वृक्ष काटने का अधिकार लगान वृद्धि या आसामी की बेदखली के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार, सुधार करने का अधिकार आदि। इजारेदार लगान नहीं देता है तो उसे बेदखल किया जा सकता है। इजारेदार अपने हितों को समर्पित कर सकता है।

❖ अध्याय – 15 राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली तथा उनकी अधिकारिता

- समस्त वाद तथा प्रार्थना पत्र की सुनवाई राजस्व न्यायालयों द्वारा की जायेगी। आदेश के विरुद्ध अपील भी की जा सकती है। जैसे- तहसीलदार की डिक्री के विरुद्ध कलेक्टर को (30 दिन में) कलेक्टर या सहायक कलेक्टर की डिक्री के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी को 60 दिनों में राजस्व अपील प्राधिकारी की डिक्री के विरुद्ध बोर्ड को (90 दिन)
- बोर्ड द्वारा अपील अस्वीकार भी की जा सकती है। राजस्व न्यायालय को पुनरवलोकन का भी अधिकार है। बोर्ड राजस्व न्यायालय के द्वारा निर्णित वाद का पुनरीक्षण भी कर सकता है।

❖ संशोधन –

- 2010 – नई धारा 251 जोड़ी गई जिसके अंतर्गत राज्य सरकार किसी खातेदार आसामी को किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने, नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग को विस्तृत करने का अधिकार दे सकती है। इससे संबंधित मामलों का निपटारा उपखण्ड मामलों का निपटारा उपखण्ड अधिकारी करेगा। तथा इसके लिए मुआवजा दिया जायेगा।
- 2014 – राजस्थान भूमि विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2014 के द्वारा काश्तकारी अधिनियम की धारा 45 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया जिसके अंतर्गत भूमि 30 वर्ष के लिए पट्टे या उपपट्टे पर दी जा सकती है। जिसे 10 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। यदि भूमि किसी ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जानी हो जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-(क) की उपधारा में 5- (क) में उल्लिखित है।
- ऐसी भूमि जिस पर खातेदारी नहीं दी जा सकती—
 1. रेलवे की भूमि
 2. छावनी की भूमि
 3. नदी का प्रवाह क्षेत्र
 4. जलमग्न भूमि
 5. आर्मी कैम्प के लिए आरक्षित भूमि
 6. उद्यान की भूमि
 7. शैक्षणिक भूमि
 8. खेल के मैदान
 9. गोचर भूमि

❖ समीक्षा – इस अधिनियम की विशेषताएँ

- एकरूप विधि
- पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध
- काश्तकारों के अधिनियम एवं हितों की रक्षा।

- अवैध बेदखली, अनुचित लगान, बेगार, आदि से संरक्षण
- भूमि सुधार की सुविधा।
- राज्य का भूमिधारी के रूप में होना भूमिहीन काश्तकारों के हित में है।

प्रश्न :

1. उत्पीड़ित महिला से क्या अभिप्राय है।
 - (a) घरेलू हिंसा अधिनियम
 - (b) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
2. कार्यस्थल को परिभाषित करो।
3. घरेलू हिंसा से अभिप्राय है।
4. बालश्रम अधिनियम के अन्तर्गत बालक से करवाये जा सकने वाले कार्य बताएं।
5. पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत बालक की परिभाषा।
6. वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा।
7. रिश्तेदार की परिभाषा।
8. भूराजस्व अधिनियम में प्रथम अपील के नियम।
9. खुदकाश्त को परिभाषित करें।
10. भू-अभिधारियों के प्रकार।
11. भूमि के अन्तरण संबंधी नियम बताएं।
12. दस्तूर गवाही।
13. भूमि धारियों के अधिकार बताएं।
14. भूमि को किराये/पट्टे पर देने संबंधी नियम बताएं।
15. वृक्षों के सम्बन्ध में प्रावधान बताएं।
16. भूमि के उपयोग परिवर्तन संबंधी नियम बताएं।
17. भूप्रबन्ध क्रियाओं से आप क्या समझते हैं।
18. घरेलू हिंसा में निवास सम्बन्धी नियम बताएं।

19. संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य बताएँ।
20. पोक्सो अधिनियम में गुरुत्तर अपराध को परिभाषित करें।
21. पोक्सो अधिनियम में कौन-कौन से अपराध शामिल किये हैं।
22. पोक्सो के अन्तर्गत शिकायत व जाँच की प्रक्रिया बताए।
23. कार्यस्थल पर सुरक्षा अधिनियम में सुनवाई के दौरान दिये जाने वाले आदेश बताएँ।
24. वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम में सरकार के कर्तव्य बताएँ।
25. उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति हस्तांतरण के नियम बताइए।
26. घरेलू हिंसा अधिनियम पुरुषों के साथ पक्षपातपूर्ण है। समझाइएँ।
27. कार्यस्थल पर सुरक्षा अधिनियम अपने उद्देश्यों में सफल है। समीक्षा करें।
28. विरोध परिस्थितियों में (कमजोर आर्थिक स्थिति में) बालश्रम की अनुमति होनी चाहिए।
29. RTI में आवेदन के निस्तारण संबंधी नियम बताए।
30. ऐसी सूचनाएँ बताएं जिन्हें RTI में मना किया जा सकता है।
31. RTI में कौनसी अधिकार सम्मिलित है?
32. RTI में किया गया संशोधन पारदर्शिता में कमी लायेंगे। इसलिए इस कानून की मूल अवधारणा के संगत नहीं है।
33. अनिवार्य लाइसेंसिंग से आप क्या समझते हैं?